19/11/96

HWS/Lb/5

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 1996

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विषय-सूची

शुक्रवार, 8 मार्च, 1996

	पृष्ठ संख्या
तारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 1
राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा श्री सूरजमल, एम०एल०ए० के साथ दुर्व्यवहार करने संबधी मामले को उठाना।	(9) 16
पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न की सूचना/सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छत्तर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने संबधी मामला उठाना	(9) 19
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/नियम 84 के अधीन प्रस्ताव की सूचना।	(9) 21
वाक आउट	(9) 23
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(9) 23
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा तथा मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा।	(9) 24
राज्यपाल से सन्देश	
(i) मोशन ऑफ थैंक्स की कापी भेजने संबंधी	(9) 34
(ii) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही रखने के लिए पुनर्विचार करने संबंधी	(9) 34
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(9) 34
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(9) 35

मूल्य :-

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना— (9)35

(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 42वीं रिपोर्ट

(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 40वीं रिपोर्ट (9)36

(iii) सबोर्डिनेट लैजिसलेशन कमेटी की 27वीं रिपोर्ट (9)36

बिल्ज — (9)36

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1996

(ii) गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (9)36

वाक आउट (9)42

गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (9)52

(iii) दि हरियाणा प्रिवेन्शन ऑफ डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (9)52

(iv) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (9)53

(v) दि पंजाब विलेज कामन लैंडज (रेगूलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1996 (9)54

(vi) दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996 (9)56

(vii) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एंड कन्ट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 1996 (9)57

(viii) दि हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटीज़ (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1992 (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापिस यथाप्राप्त) (9)59

मुख्य मन्त्री/उपाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद (9)61

(9)63

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 8 मार्च, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the question hour.

Number of Veterinary Institutions in the State

***1267. Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state —

(a) the total number of Veterinary Institutions in the State at present;

(b) the number of Veterinary Institutions out of those as referred to in part (a) above are without Veterinary Surgeons and where V.L.D.As' are performing the duties of Veterinary Surgeons;

(c) whether the V.L.D.As' are competent to undertake the treatment of Animals; and

(d) if the reply to part (c) above is in negative, whether the Government has taken any steps to provide legal protection to the V.L.D.As' under the Indian Veterinary Act, 1984; if so, the details thereof ?

Animal Husbandry Minister (Shri Ram Pal Singh Kanwar) :

(a) There are 2310 Veterinary Institutions of all types in the State.

(b) Of these 1704 Veterinary Institutions are manned by V.L.D.As'. However, these V.L.D.As' are performing their duties and not of Veterinary surgeons. They are rendering minor Veterinary services like, "Vaccination", "Insemination" etc. as defined in their duty chart issued on 25.11.94 by the Government. (Copy enclosed).

(c) No, however, by Government notification No. S.O. 106/C.A. 52/1984 S.30/94, dated 25.11.1994 (Copy enclosed), V.L.D.As' have been authorised to render minor Veterinary services under the supervision and direction of Veterinary Surgeon of the 'Ilaqua'.

(d) The notification referred to in part (c) above has been issued in exercise of powers conferred under Section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984

[Shri Ram Pal Singh Kanwar]

Duty Chart

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 25, 1994
(AGHN. 4, 1916 SAKA)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Notification

The 25th November, 1994

No. S.O. 105/C.A.-52/1984/S-30/94.—In exercise of the powers conferred by the explanation to the proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Governor of Haryana hereby specifies the following preliminary aids and the treatment of such ailments for the purposes of said explanation, namely :-

1. To perform Artificial Insemination in cows and buffaloes.
2. To follow up the Artificial Insemination cases and maintain record.
3. To vaccinate animals against diseases to control diseases and to take timely veterinary aid measures.
4. To register cattle for milk yield.
5. To guide villagers regarding feed and fodder of cattle to increase their milk yield, procurement of seed for demonstration plots.
6. (a) Handling of superficial surgical ailments like wounds including sutured/surgical wounds, abscess, fistula;
   (b) Management of external/superficial haemorrhage, burns, using local applications of antiseptic lotion, ointments, etc.;
   (c) Intra-uterine douching with antiseptic lotions;
   (d) Use of lugol's paint in animals not coming in heat;
   (e) First-aid in case of prolapse of uterus;
   (f) Washing of mouth, hooves, teats, udder, etc.with antiseptic lotions in conditions like foot and mouth diseases mastitis etc.;
   (g) To provide first aid like analgesics and antipyretics in cases of fever and pain;
   (h) To provide first-aid in non-infection diseases like tympany, Gestipation impaction diarrhoea, dysentry, milk fever etc; and
   (i) Spray of animals/birds for control of ectoparasites.
7. To maintain official record of key-village units, Stockman Centers, Veterinary Dispensary, Sheep and Wool Extension Centres, Poultry

Extension Centres, Piggery Extension Centres.

8. To keep the equipments of the institution clean.

9. Compounding and dispensing of medicines.

10. Rendering assistance to the Veterinary Surgeon/Animal Husbandry Assistants-In Charges of Veterinary Hospital/Dispensary while performing major operations.

11. To help Veterinary Surgeon/Animal Husbandry Officers in maintaining the record of the institutions.

12. To attend to the Marginal Farmers, Agricultural Labourers/Small Farmers Development Agency programmes.

R.S.VARMA,

Financial Commissioner and
Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.

NOTIFICATION

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

ORDER

The 25th November, 1994.

No. S.O. 106/C-Order-52/1984/S-30//94-In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the Governor of Haryana hereby permits Veterinary and Livestock Development Assistants holding diploma or certificate as specified in the said proviso to render under the supervision and direction of a registered Veterinary practitioner, minor veterinary services.

R.S. VARMA,
Financial Commissioner and Secretary to Govt. Haryana,
Animal Husbandry Department.

चौधरी ओम प्रकाश वेरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया है कि हरियाणा प्रदेश में कुल 2310 वैटरनरी इंस्टीच्यूशंज कार्यरत हैं और इन में से 1704 वैटरनरी इंस्टीच्यूशंज ऐसी हैं जहां पर वी०एल०डी०एज० लगे हुए हैं। आप उनको चाहे स्टोक असिस्टैंट कह लीजिए चाहे वी०एल०डी०ए० कह लीजिए। बाकी पशु चिकित्साल्यों में वैटरनरी सर्जन लगे हुए हैं। जो 1704 वैटरनरी इंस्टीच्यूशंज हैं

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

उनमें वी०एल०डी०एज० स्वतंत्र रूप से पशुओं का इलाज करने का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी ने बताया कि इंडियन वैटरनरी कौंसिल एक्ट, 1984 की सैक्शन 30 की क्लाज बी के तहत एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि उन वैटरनरी इंस्टीच्यूशंज में वी०एल०डी०एज० पशुओं का इलाज करने का काम कर सकते हैं लेकिन वे इन बीमारियों का इलाज वैटरनरी सर्जन की सुपरविजन और डायरैक्शन के मुताबिक ही कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक वैटरनरी सर्जन से कोई डायरेक्शन लेने जाएगा तब तक तो पशु की हालत खराब हो जाएगी और वह मर भी सकता है। इसलिए वी०एल०डी०एज० को इन बीमारियों का इलाज करने के लिए लीगल सैंक्शन मिलनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वी०एल०डी०एज०को पशुओं का इलाज करने के लिए लीगल सैंक्शन देने में उनको क्या एतराज है और यदि कोई एतराज है तो वह क्यों है? इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वी०एल०डी०एज० की एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार के नुमायदों से, मुख्य मंत्री से और मंत्री से भी मिले थे। उसके बाद 4-8-1994 को एक समझौता हो गया था कि इनको इस काम की लीगल सैंक्शन मिल जाए। उसके बाद 17.11.1994 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें इस बारे में पूरा विचार विमर्श हुआ था और यह फैसला हुआ था कि इंडियन वैटरनरी कौंसिल एक्ट, 1984 में अमैंडमैंट करने का एक रैजोल्यूशन पास करके इंडियन वैटरनरी कौंसिल को भेज दिया जाए। इस बारे में कागजात भी तैयार हो गए थे और एल०आर० से भी ओपीनियन ले ली गई थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वह समझौता हुआ था उसको इम्पलीमैंट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा पाई है?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने क्वैशचन किया है कि वी०एल०डी०एज० को पशुओं का इलाज करने के लिए स्वतंत्र रूप से इजाजत दी जाए और इन्होंने खुद ही बताया है कि जब तक वैटरनरी कौंसिल एक्ट, 1984 में अमैंडमैंट नहीं हो जाती तब तक उनको पशुओं का इलाज इंडिपैंडैंट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कुछ ऐसे टीके और दवाईयां है जो ये नहीं दे पा रहे। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि इनको स्वतंत्र रूप से इलाज करने की इजाजत क्यों नहीं देते, इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने सैन्ट्रल एक्ट को एडौप्ट किया हुआ है इसलिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट का एक्ट इसकी इजाजत नही देता। मेरा कहना यह है कि जब स्टेट गवर्नमैंट ने उसको एडौप्ट किया है तो उसी के अनुसार काम करना होगा। इसमें अमैंडमैंट पार्लियामैंट ही कर सकती है। उसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है। वी०एल०डी०एज० के पास ही दवाइयों का कन्ट्रोल होता है। वैटरनरी सर्जन तो केवल सुपरवाईज ही करता है। वह वक्तम फवक्तन चैक करता रहता है। अब मैंने डिप्टी डायरैक्टर्ज को हिदायतें की हैं कि वे महीने में कम से कम एक विजिट हर होस्पिटल और डिसपैंसरी का करें और उसकी रिपोर्ट हैड आफिस को भेजें। इसी प्रकार की हिदायतें वैटरनरी सर्जन के लिए भी जारी की हैं कि वे अपने अधीन वी०एल०डी०एज० का 15 दिन में एक विजिट अवश्य करें। दूसरा सवाल इन्होंने यह किया है कि इनको लीगल सैंक्शन या रजिस्ट्रेशन की इजाजत क्यों नहीं देते ? स्पीकर साहब, वैटरनरी सर्जन की 4 साल की डिग्री और डिप्लोमा का 2 साल वाला कोर्स है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कोई डिग्री या डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी द्वारा ही दिया जाता है न कि सरकार द्वारा। वी०एल०डी०एज० जो हस्पतालों में काम करते थे और डिसपैंसरीज में काम करते थे, उनका दोनों का काम एक जैसा ही था। इसलिए उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमने यह रियायत दी है कि जिन कर्मचारियों ने ऐसी सेवा 10 साल की पूरी कर ली है उनको दो साल की ट्रेनिंग के बराबर लाभ देंगे। वी०एल०डी०एज० को डिप्लोमा या सर्टीफिकेट सरकार नहीं दे सकती, यह तो यूनिवर्सिटी ही दे सकती है। हमने इनके रजिस्ट्रेशन वाले केस को भी कंसीडर किया है। जिस प्रकार से हैल्थ डिपार्टमैंट में फार्मेसिस्ट काउंसिल बनी हुई है उसी तरह की

वी०एल०डी०एज० की एक कांउसिल बन जाये तो फिर उनकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद वे अपनी रिटायरमैंट के बाद प्राईवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की यह बात बिल्कुल सही है कि यह एक्ट भारत सरकार का है। लेकिन इस बारे में मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कान्स्टीच्यूशन के आर्टिकल 252 के तहत जो यह एक्ट है इसमें यह भी प्रोविजन है कि यदि कोई राज्य सरकार अमैंडमैंट करवाना चाहे तो वह रैजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को भेज सकती है और अमैंडमैंट करवा सकती है। मेरे पास इसी प्रकार का एक महाराष्ट्र सरकार का सर्कुलर है। उन्होंने एक रैजोल्यूशन पास करके भेजा था और अमैंडमैंट करवाई है। उस अमैंडमैंट के माध्यम से वहां पर वैटरनरी कम्पाउडर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हमारे यहाँ पर वैटरनरी कम्पाउडर को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही ? रैजोल्यूशन पास करने का आपको अख्तियार है। मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि वैटरनरी सर्जनों के दबाव में आकर ही उनको वंचित करने की बात तो नहीं है। वी०एल०डी०एज० का यह कानूनी हक बनता है। दबाव के कारण उनको उनके हक से वंचित करने की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से उनकी बात को मान भी लिया था। उसके अनुसार कार्यवाही कर लेते और विधान सभा से रैजोल्यूशन पास करवा कर गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को भेज देते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता। अगर इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो और बेहतर होगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, वी०एल०डी०एज० की इस मांग के बारे में हमारे पार्टी के एम०एल०एज० ने भी और मंत्री महोदय ने भी यह मुद्दा हमारे सामने रखा है कि इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। इस बारे में हमने विचार भी किया लेकिन हमारे सामने एक और दिक्कत आ गई। हमने रैजोल्यूशन पार्लियामैंट में भेजा था लेकिन उस रैजोल्यूशन को लोकसभा ने रिजैक्ट कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि हम उनकी मांग के खिलाफ हैं। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं लेकिन पार्लियामैंट ने उसको नहीं माना इसलिए हमारे सामने दिक्कत आ गई।

साथी लहरी सिंह : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि डिप्टी डायरैक्टर की यह डियूटी होगी कि वह एक महीने में अपने अधीन सारी डिस्पैंसरीज़ को चैक करेगा और इस तरह से वैटरनरी सर्जन की भी डियूटी होगी कि वह अपने ऐरिया को चैक करेगा। हैडक्वार्टर से अपने अधीन डिस्पैंसरीज़ में जाने के लिए पर्याप्त साधन भी उनके पास हैं, क्या मंत्री महोदय इस बारे में बताएंगे ? इसी प्रकार से होस्पीटलज़ और डिस्पैंसरीज़ का क्राईटीरिया क्या है ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई नार्म है कि इतनी दूरी पर होस्पीटल या डिस्पैंसरीज़ होनी चाहिए ताकि वहां पर पशु को ले जाया जा सके ? जैसे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या कितनी दूरी पर होस्पीटल या डिस्पैंसरी का नार्म है ताकि वी०एल०डी०एज़० के काम को चैक करने में वैटरनरी सर्जन्ज़ को कोई दिक्कत न हो और जनता को अपने बीमार पशुओं को डिस्पैंसरीज़/होस्पीटल में ले जाने की कोई दिक्कत न हो।

श्री राम पाल सिंह कंवर : अध्यक्ष महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्पैंसरीज़ खोली जाएं ताकि पशुओं को वहां तक पहुचाया जा सके। आदमी की बनिस्बत बीमार पशु को हस्पताल या डिस्पैंसरी तक ले जाना काफी दिक्कत का काम है। आदमी बीमार हो तो उसको किसी गाड़ी वगैरह में हस्पताल ले जाया जा सकता है लेकिन पशु को ले जाना बहुत दिक्कत का काम है। आज पशुधन किसान के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है और किसान आज पशुधन को साईड

[श्री राम पाल सिंह कंवर]

बिज़नेस के तौर पर चला रहे हैं। इसलिए सरकार का इस ओर पूरी तरह से ध्यान है और जो क्राईटीरिया फिक्स किया गया है वह सभी के लिए समान है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर भी हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्पैंसरीज़ खोल कर या स्टाफ सैंटर्ज़ खोलकर पशुओं का इलाज करवाया जा सके। इसके साथ ही माननीय साथी ने जानना चाहा है कि डिप्टी डायरैक्टर के पास चैकिंग का साधन है या नहीं। मैं इस बारे में इनको बताना चाहूंगा कि पर्याप्त साधन डिप्टी डायरैक्टर के पास हैं ताकि वह चैक कर सकें। अस्पतालों में भी पर्याप्त मात्रा में जीपस उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी कुछ कमी है। यहां पर मैं हाउस में बताना चाहूंगा कि हमने 16 नई जीपस का आर्डर दिया हुआ है और जहां भी जीपस की कमी होगी उसको हम पूरा कर देंगे। हम इस बारे जागरूक हैं कि डाक्टरों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने अधीन होस्पीटलज़ और डिस्पैंसरीज को चैक कर सकें और लोगों को भी हर प्रकार से पूरी सर्विसिज़ उपलब्ध करवाई जा सकें।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने पशुधन के बारे अपनी बड़ी मानसिक चिन्ता व्यक्त की है। वास्तव में उन्हे चिन्ता है नहीं लेकिन कह दिया कि उन्हे चिन्ता है। वे बताएं कि कितनी दूरी पर होस्पिटल है और कितने हास्पिटल्ज का प्रोविजन है ? यह प्रश्न पिछली बार भी सदन में उठा था। क्या हरियाणा गवर्नमैंट ने वैटरनरी साईंस एसोसिएशन के पास कोई रिकमैंडेशन भेजी है कि उनको इजाजत दी जाए ? मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि लोक सभा में यह टर्न डाउन हो गई। लेकिन यह ऐसी बात लगती नहीं है क्योंकि इस एक्ट में प्रोविजन है कि अपनी रिकमैंडेशन्ज़ भेजी जा सकती हैं। क्या इन्होंने गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया और वैटरनरी साईंस एसोसिएशन को लिखा है और उसमें इन्होंने क्या रिकमैंड किया है ? तीसरे इन्होंने बताया कि 15 दिन के बाद वैटरनरी सर्जन उनका काम चैक करेंगे। तो इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव है क्योंकि इनके होस्पिटलज़ में वैटरनरी सर्जन ही नहीं हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को पशु धन की तो कोई चिन्ता ही नहीं है।

श्री राम पाल सिंह कंवर : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने कहा है कि मुझे पशु धन की कोई चिन्ता ही नहीं है। अगर ये इस बारे में देखना चाहते हैं कि मुझे कितनी चिन्ता है तो ये मेरे घर आकर देखें कि मैंने किस तरह से अपने पशुओं को रखा हुआ है। मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से रखा हुआ है। अगर मैं अपने घर में उनको इतनी अच्छी तरह से रख सकता हूं तो मैं यह भी चाहूंगा कि किसान भाई भी अपने पशुओं को उसी तरह से रखें। इनके पास तो पशु है नहीं, हां हो सकता है कि एक बकरी रखी हो। (विघ्न) दूसरी बात इन्होंने यह भी कही कि वैटरनरी सर्जन 15 दिन में जाकर चैक करेगा, यह असंभव है। मैं इनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि 15 दिन में वैटरनरी सर्जन चैक करेगा और एक महीने के बाद डिप्टी डायरैक्टर चैक करेगा। वे अपनी रिपोर्ट हैड आफिस को भेजेंगे ताकि पता लग सके कि उन्होंने चैक किया है या नहीं।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी को पता है कि जब पशु बीमार होता है तो वह चलकर होस्पिटल तक नहीं जा सकता है। क्या मंत्री जी वैटरनरी सर्जन को मोटर साईकल या जीप देने का प्रावधान करेंगे ताकि वह वहां पर जाकर चैक कर सके ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : अध्यक्ष महोदय, वैटरनरी सर्जन्ज को जीपें दी जाएं ताकि वे अपने एरिये में जा सकें, यह हम सोच रहे हैं। डिप्टी डायरैक्टर्ज़ को पहले ही जीपें दी हुई हैं। वी०एल०डी०ए० के

लिए भी इतना ऐरिया है कि वह उसमें आराम से जा सकता है। अगर वहां पर कोई पशु बीमार है और उस बीमार पशु का मालिक आकर यह कहे कि मेरा पशु बीमार है तो वी०एल०डी०ए० उसको वहीं पर जाकर चैक करता है। इसी प्रकार से छत्तर सिंह चौहान जी ने कहा था कि हमारे पास डाक्टर्ज पूरे नहीं हैं। तो इस बारे में हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखकर भेजा हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कुछ भाई यहां पर बैठे हुए नहीं हैं। हमने तो 200 डिस्पैंसरियां खोल दी थी लेकिन उनके टाईम में तो एक पीयन की पोस्ट भी भरी नहीं गई थी। अब हमने कोशिश की है कि उस कमी को पूरा कर सकें।

श्री अजमत खां : स्पीकर सर, मंत्री जी ने खुद माना है कि प्रान्त में वी०एल०डी०एज० की कमी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये इन वी०एल०डी०एज० की कमी को पूरा करने के लिए टाईम बाउन्ड करेंगे ? इसके अलावा जहां पर डिस्पैंसरीज की बिल्डिंगज नहीं है तो क्या वहां पर सरकार बिल्डिंगज बनाने का कोई प्रोग्राम चलाएगी और इस काम के लिए कोई टाईम फिक्स करेगी कि इस वक्त तक यह काम हो जाएंगे ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर सर, इन्होंने पूछा है कि कब तक वी०एल०डी०एज० की कमी को टाईम बाउंड करेंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने इस बारे में कोशिश की है। पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने वी०एसज० की रिक्वीजिशन भेजी हुई है। अगर कमीशन इनकी जल्दी सिलैक्शन कर देता है तो जैसे ही हमारे पास इनकी सिलैक्शन लिस्ट आ जाती है वैसे ही हम तुरंत इनकी पोस्टिंग कर देंगे। स्पीकर सर, वी०एल०डी०एज० के कोर्स का एक बैच हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। ज्यों ही यह कोर्स खत्म हो जाता है तो उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाती है। पहले भी एक लिस्ट हमारे पास आ गई थी और हमने उनको पोस्ट कर दिया था। जैसे ही दूसरे बैच की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी , उसको भी तुरंत पोस्टिंग दे दी जाएगी। स्पीकर सर, यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की सीटें बढ़ नहीं रही हैं लेकिन हमने उनसे रिक्वैस्ट की है कि आप ये सीटें बढ़ा दें ताकि अब जो यह गैप बना हुआ है, वह गैप हम दूर कर सकें। इसके अलावा इनका दूसरा सवाल बिल्डिंगज के बारे में है। मैं इस बारे में इस आगस्ट हाउस को बताना चाहता हूं कि हमारे पास बिल्डिंगज बनाने के लिए प्रयाप्त मात्रा में फंडज नहीं हैं। आम तौर पर तो हमारी कोशिश यह रहती है कि अगर कोई गांव की पंचायत अपने यहां से रैजोल्यूशन भेज दे कि हम फलां जगह पर बिल्डिंग बना देंगे तो वहां पर हम अस्पताल या डिस्पैंसरीज की सुविधा उनको दे देते हैं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, मंत्री जी ने अभी बताया है कि वी०एस० की पोस्टें खाली हैं और वहां पर वी०एल०डी०एज० काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनको यह इजाजत दी हुई है कि ये पशुओं को टीका लगा सकें ? सर, आज किसानों को डिस्पैंसरीज में जाने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन फिर भी डिस्पैंसरीज खाली पड़ी हुई हैं। इन्होंने अब तक कितने वैटरनरी सर्जन पब्लिक सर्विस कमीशन से मांगे हैं ? आज जो वैटरनरी सर्जन खाली फिर रहे हैं क्या ये उनको ही खाली डिस्पैंसरीज में ऐडहोक पर लगाने की कोशिश करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आज हरियाणा में कितनी डिस्पैंसरीज हैं और वहाँ पर कितने कितने वैटरनरी सर्जन लगे हुए हैं ताकि हमें यह पता लगे कि अभी तक कितनी डिस्पैंसरीज खाली पड़ी हुई हैं ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर सर, हमारे पास प्रान्त में 634 पशु चिकित्सक हैं जिनमें से इस वक्त 14 पोस्टें खाली हैं। हमने 60 पोस्टें ऐडवरटाईज की हैं और ये 60 पोस्टें हमने इसलिए ऐडवरटाईज की हैं ताकि हम जो आगे डिस्पैंसरीज खोलें तो उनमें यह डाक्टर्ज लगा सकें। सर, ज्यों ही रिजल्ट आ

[श्री राम पाल सिंह कंवर]

जाएगा त्यों ही खाली स्थानों को भर दिया जाएगा। इसी प्रकार से 2632 वी०एल०डी०एज० आज प्रान्त में कार्य कर रहे हैं और 90 पोस्टें इनकी भी खाली हैं। इनका एक बैच अभी हिसार यूनिवर्सिटी में अंडर ट्रेनिंग है। ज्यों ही ये आ जाएंगे वैसे ही इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जहां तक इनके द्वारा पशुओं को टीके लगाने का सवाल है तो जैसे मैंने बताया कि कुछ टीके ये पशुओं को लगा सकते हैं लेकिन कुछ टीके ऐसे हैं जो ये नहीं लगा सकते क्योंकि वैटरनरी कौंसिल ने इस तरह के टीके लगाने की पाबन्दी लगायी हुई है। इसलिए मैंने अपने जवाब में कहा है कि वैटरनरी सर्जन की गाईडैन्स लेकर उनका प्रिसक्रिपशन लेकर ये पशुओं को इस तरह के टीके लगा सकते हैं। जब वैटरनरी सर्जन उनको कह देते हैं तो ये ऐसे टीके लगा सकते हैं।

श्री पीर चन्द : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे गरीब आदमियों को हरिजन कल्याण निगम भेड़, बकरियों, सुअरों तथा मुर्गियों को पालने के लिए लोन देती है तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि इन लोगों के पास भी वी०एस० को इनके पशुओं की चैकिंग के लिए भेजा जाएगा?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर सर, जैसा मैंने अभी बताया कि किसी खास गांव या किसी खास इलाके के लिए नहीं बल्कि तमाम एरिया में जहां पशु हैं उन सभी की देख रेख करने के लिए वैटरनरी डाक्टर या वी०एल०डी०एज० लगाए हुए हैं। हरिजनों की चिंता हमें भी उतनी ही है। उनके पशुओं को देखने के लिए अगर कोई डाक्टर नहीं जाता है और ऐसी कोई शिकायत यदि पीर चंद जी के पास है तो हमें लिखकर दें तो उनका भी पूरी तरह से इंतजाम करा देंगे।

श्री पीर चन्द : स्पीकर सर, मैंने हरिजनों की बात नहीं कही है। मैंने तो जानवरों के बारे में पूछा है।

श्री राम पाल सिंह कंवर : मैं भी किसी खास इलाके या गांव की बात नहीं कर रहा हूं। सभी पशुओं, चाहे भेड़ बकरी हों या मुर्गी हों या सुअर हों, सभी जानवरों को हमारे वैटरनरी डाक्टर और वी०एल०डी०एज०देखते हैं और उनको चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं।

Lining of Water Courses

*1287. **Shri Mani Ram Keharwala :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) the total number of water courses lined during the years 1994-95 and 1995-96 in district Sirsa ; and

(b) the number of water courses lying 'Kutcha' so far in district Sirsa, together with the time by which lining of these water courses is likely to be completed ?

सिंचाई मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) :

(क) (i) जिला सिरसा में साल 1994-95 में 2 नये खाले और 22 खालों में बढ़ोतरी करते हुए 2,23,000 आर0एफ०टी० खाले पक्के किये गये।

(ii) साल 1995-96 (फरवरी महीने तक) 42 नये खाले और 74 खालों में बढ़ोतरी करते हुए 8,05,000 आर०एफ०टी० खाले पक्के किए गये।

(ख) जिला सिरसा में कुल 189 खाल कच्चे हैं जिनको वर्ष 2000 तक पक्का कर दिया जायेगा। बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध होती रहे।

श्री मनी राम केहरवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐलनाबाद हल्के में दो नहरें हैं। एक तो शेरांवाली डिस्ट्रीब्यूट्री है और एक शेरांवाली पैरेलल है । दोनों नहरों के एरिया में लगभग 50 गांवों का रकबा पड़ता है। वह राजस्थान के साथ लगता रेगिस्तानी इलाका है । उसमें चाहे पैलिसी ही चेन्ज करनी पड़े, क्या डबल खाल बनाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, मैं इनकी डबल खाल बनाने वाली बात समझा नहीं हूँ। लेकिन शेरांवाली पैरेलल और शेरांवाली डिस्ट्रीब्यूट्री दोनों मेरे ख्याल में कुछ कच्ची हैं। पक्की बन जाएं तो खाल बनाने की बात होती है। यदि जमीन का लैवल उसमें ठीक हो तो कच्ची में भी बना देते हैं। यदि ऊंची नीची हो तो नहर पक्की बन जाए तो उसके लेवल से खालें बनती हैं ताकि जो फलड का पानी है वह भी उस में जा सके। अब जिसमें से भाखड़ा का पानी जाता है उसी में से फलड का पानी जाता है यही प्रावधान है।

श्री मनी राम केहरवाला : अध्यक्ष महोदय, डबल से मेरा अभिप्राय उसकी कैपेसिटी डबल करने से था ताकि दोनों नहरों का पानी खालों में समा सके। क्योंकि वह रेगिस्तानी ऐरिया है और वहां बड़ी भारी दिक्कत है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि वे खाल बनाने शुरू किए जाएं।

10.00 बजे **श्री जगदीश नेहरा :** स्पीकर सर, वे खाल शुरू करने का प्रावधान है और कोई विशेष बात हो तो उसको भी हल करेंगे। वे दोनों नहरें एक ही टाईम चलती हैं। एक ही मौके पर डबल की जरूरत है तो उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे। फुलड का पानी जिस समय चलता है तो उस समय दूसरी नहर बंद होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनके विभाग को वर्ष 1994-95 के लिए वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार से पक्के खाले करने के लिए राशि उपलब्ध हुई है और उस राशि का उन्होंने क्या क्राईटेरिया रखा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि किस इलाके में यह काम करवाया जायेगा ?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 में कुछ पैसा एम०आई०टी०सी० को वर्ल्ड बैंक से मिला था। जो पक्के खालों का सिस्टम है वह दो तरीके से है। एक काडा यानि कमांड एरिया डिवैलपमैंट अथोरिटी और एक है एम०आई०टी०सी० यानि माइनर इरीगेशन ट्यूबवैल कारपोरेशन। एम०आई०टी०सी० का पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है जिसको डब्लयू०आर०सी०पी० कहते हैं। वर्ल्ड बैंक का उसमें 90 प्रतिशत पैसा होता है और दस प्रतिशत हरियाणा सरकार का पैसा होता है। जो काडा है उसमें पचास फीसदी ग्रांट-इन-ऐड सैन्टर गवर्नमैंट की होती है और पचास फीसदी हरियाणा सरकार की होती है। विभाग की यही कोशिश रही है कि जो ग्रान्ट-इन-ऐड वाली बात है वह अधिक की जाये। इसीलिए एम०आई०टी०सी० के बहुत से एरियाज को काडा को दिया गया है। अब रफली यह है कि छः जिले काडा के पास हैं और छः जिले एम०आई०टी०सी० के पास हैं। अध्यक्ष महोदय, एम०आई०टी०सी० का

[श्री जगदीश नेहरा]

भाखड़ा का एरिया है और यमुना का एरिया काडा के पास है। पांच जिले ऐसे हैं जिनमें एम०आई०टी०सी० की कोई विशेष जरुरत नहीं है क्योंकि उनमें नीचे पानी मीठा है। इसलिए उन्हें पक्का नहीं करते हैं।

Licence Fee

***1283. Shri Kitab Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to charge licence fee from the registered Pharmacists once in five years for the renewal of their licences/registrations ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : स्पीकर सर, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है। फिर भी लोग समय-समय पर यह मांग करते रहते हैं कि लाइसेंस फीस जो पंजीकरण के लिए प्रति वर्ष ली जाती है वह पांच साल के लिए इकट्ठी ले ली जाये। इस बारे में पिछले कुछ दिनों पहले यह मामला मुख्य मंत्री के स्तर पर उठाया गया था और इसको रिव्यू किया गया था। यदि भारत सरकार इस बात को मान जाती है तो इसे तीन या पांच साल के लिए कर दिया जाएगा ताकि लोगों को पंजीकरण के लिए हर साल न आना पड़े।

श्री किताब सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल के खिलाफ सरकार के पास कोई शिकायत आई है ? अगर आई है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ? उसकी क्या क्वालीफिकेशन है ? क्या वह क्वालीफिकेशन पूरी करता है और कितने समय के लिए उसे लगाया गया है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो औषधि विक्रेता हैं जब वे अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए उस रजिस्ट्रार के पास आते हैं तो उनको वह बहुत तंग करता है। क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करेगी जिससे औषधि विक्रेताओं को अपने लाइसेंस का नवीकरण करवाने के लिए खुद न जा कर के ड्राफट या मनीआर्डर द्वारा पैसे भेज दें और उनका पंजीकरण/नवीकरण हो जाये ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, फार्मेसी काउंसिल का गठन 1984 में हुआ था और इस सदन में भी उस एक्ट पर काफी बहस हुई थी। जहां तक रजिस्ट्रार की बात है उसका भी एक निर्धारित समय होता है और सरकार चाहे तो उस समय को बढ़ा सकती है। शिकायतें तो जरूर आती रहती हैं। कई शिकायतों की जाँच भी करवाई गयी है। एक -दो बातें ऐसी कही गई हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ कि आज से पहले हम अनुभव के आधार पर कुछ पर्सन्ज को क्वालीफाईड डिक्लेयर करके उनको भी यह लाइसेंस दे दिया करते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद सरकार ने एक कट डेट रख दी थी कि इस डेट तक जो क्वालीफाईड पर्सन्ज हैं वे ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उसके बाद नहीं करवा सकते हैं। तो अब इंक्वायरी के दौरान बहुत से ऐसे केसिज भी पाए गये हैं जिन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता लेकिन वे कहते हैं कि मैं तो क्वालीफाईड पर्सन हूँ। गवर्नमैंट ने भाप रखा हूँ मेरी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते हो। दोनों ही तरह की बातें हैं। उनका भी दोष नहीं होता है। दूसरी स्टेट्स में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको चैक करवाना पड़ता है, दूसरे प्रांत से इस बात को वैरीफाई करवाया जाता है कि वाकई वे उस स्टेट में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन करने में कुछ देरी हो जाती है। इस तरह निःसंदेह लोगों में असंतोष तो बढ़ता ही है। मैं यह समझती हूँ कि जो कानूनी बारीकियां हैं, उनमें जो उलझाव है उनसे व्यक्ति का व्यवहार भी मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल संतोषजनक होगा। उसकी भी कोई बात होगी। समय समय पर उनको ये हिदायतें दी जाती हैं। अगर टाईम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ उसमें

कमजोरी है तो कम से कम प्यार से लोगों को यह समझा दो कि तेरा वहां से वैरीफाई होकर आ जाएगा तो नवीकरण कर दूंगा। इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। वाकायदा इस संबंध में एक कानून है। इसके तहत स्ट्रिक्टली क्वालीफाईड होना चाहिए तभी उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आर०एम०पी० का लाइसैंस पहले मिला हुआ है और वह ठीक है। उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया। क्या उनको कन्टीन्यूड रखेंगे। आज तो हजारों की तादाद में दूसरी स्टेटों से लाईसैंस लेकर के हरियाणा में काम कर रहे हैं। उनकी फीस का क्या होगा। क्या इस बारे में कुछ करेंगे। आप उन्हें काम करने देंगे या उनको बंद कर देंगे, कृपया यह मुझे बता दें ?

बहिन करतार देवी : माननीय सदस्य यदि औषधि विक्रेताओं के बारे में यह बात जानना चाहते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार जिनकी रजिस्ट्रेशन इस स्टेट में हो चुकी है उसको तो जारी रखेंगे। लेकिन इस में एक एक्ट है जिसके तहत हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है।

श्री किताब सिंह मलिक : स्पीकर सर, पहले मैंने जो सप्लीमैंटरी पूछी थी उसका जवाब ठीक नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि वह क्वालीफिकेशन पूरी करते हैं या नहीं और क्वालीफिकेशन क्या है। इन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में शिकायतें आई हैं। सरकार चाहे तो बदली कर सकती है। जब इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो क्यों नहीं इनको दूर किया जाता ? बहिन जी उसकी क्वालीफिकेशन क्या है जो लोगों की दिक्कत है उसको आसान क्यों नहीं कर देते। ऐसा कर दें कि वे मनीआर्डर या ड्राफट से पैसा भेज दें और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए।

बहिन करतार देवी : अभी जैसा कि मैंने बताया कि फारमेसी काउंसिल के लिए जो रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है वह क्वालीफाईड होता है। तभी तो उसको नियुक्त किया गया है। उसके टैन्योर की जो बात है उसके लिए तीन साल का निर्धारित समय होता है। यदि सरकार उसको बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा भी सकती है। बीच में उसको हटा भी दिया गया था। ये सारी बातें आपके नोटिस में हैं। आप कहते हैं कि रिन्यूअल पाँच साल के लिए किया जाए। स्पीकर सर, सैंट्रल एक्ट में अड़चन है, वरना मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्रावधान हो जाए जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट में हो गया। नवीकरण की फीस या रजिस्ट्रेशन की फीस एक बार ही दस साल के लिए, 5 साल के लिए या 3 साल के लिए ले ली जाए। इस प्रकार लोगों की शिकायतें देखते हुए हमारा भी यह प्रयास होगा कि सैंट्रल गवर्नमैंट से बात चीत की जाए कि जैसे उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट को चेंज कर दिया है उसी प्रकार से इस एक्ट को भी चेंज कर दें। इससे लोगों को काफी सुविधाएं मिल सकती हैं।

श्री किताब सिंह : स्पीकर सर, जो बात मैंने पूछी है उसका जवाब नहीं दिया गया। जो जवाब दिया है वह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : किताब सिंह जी आप बैठिए।

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय बहिन जी ने औषधि विक्रेताओं के पंजीकरण के नवीकरण के सिलसिले में अपना लिखित जवाब दिया और मौखिक रूप से भी बताया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इनकी जानकारी में यह बात आई है कि रजिस्ट्रेशन पर या उसके नवीकरण पर, इस रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई शिकायतें आई हैं। एक दो बार उनके बारे में कोई क्रिमिनल केसिज की भी बात आई है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो औषधि विक्रेताओं का पंजीकरण होता

[प्रो० राम बिलास शर्मा]

है वह डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स किए हुए लड़कों के नाम से होता है। वास्तव में वे लड़के उस दुकान के न तो मालिक होते हैं और केवल 500-700/- रु महीने के इम्पलाई होते हैं। अगर उनकी जानकारी में यह बात है तो कृपया बता दें कि इसमें क्या इम्प्रूवमैंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस संबंध में कोई योजना उनके विचाराधीन है ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, मैंने पहले भी बताया है कि शिकायतें जरूर आती रहती हैं। लेकिन इस प्रकार की शिकायतों की जाँच करने के कई तरह के कारण बताए गए हैं। जैसे कोई पुराने समय का क्वालीफाईड व्यक्ति है लेकिन अब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि उसने निर्धारित समय पर दरख्वास्त नहीं दी। इसके लिए एक निर्धारित समय था, 1978 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है।तो निसंदेह उसका असंतोष अपने हिसाब से सही है कि मुझे क्वालीफाईड माना हुआ है फिर भी मुझे रजिस्टर क्यों नहीं करते। लेकिन इसमें रजिस्ट्रार की मजबूरी है क्योंकि सैंट्रल एक्ट उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। कुछ दूसरी स्टेट के लोग भी आते हैं उनको भी वैरीफाई करना पड़ता है। ऐसी रजिस्ट्रेशन दूसरी स्टेटों की देखी जाती है। अगर उसकी दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहां नहीं किया जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि उनकी पूरी चैकिंग नहीं की जाती, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां ड्रग एंड कौसमैटिक्स एक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से इम्पलीमैंट किया जा रहा है। उसके लिए हमारा ड्रग कन्ट्रोलर है, डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर, ड्रग चीफ इन्सपैक्टर तथा ड्रग इन्सपैक्टर्ज हैं जो टाईम टाईम पर दुकानों की चैकिंग करते हैं। वे देखते हैं कि उनके पास सही रजिस्ट्रेशन है या नहीं। इसके अलावा दवाइयों की भी चैकिंग की जाती है कि कोई एक्सपायरी डेट की दवाई या डुप्लीकेट दवाई तो नहीं है। तो समय समय पर यह चैकिंग जारी रहती है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि समय समय पर भारत सरकार के यहां सैक्रेटरी लेवल की और मिनिस्टर्ज लेवल की मीटिंग्ज होती रहती हैं। उनमें हमारा ड्रग कन्ट्रोल सबसे बढ़िया माना जाता है। भाई राम बिलास जी ने जो बात कही उस बारे में मैं यह तो नहीं कह सकती कि कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं होगी। लेकिन कानूनी पोजीशन यह है कि जब फार्मासिस्ट के नाम पर लाईसैंस है और वह दुकान पर मौजूद है, चाहे वह मालिक है या नहीं लेकिन वह तो यही कहेगा कि मेरे नाम से लाईसैंस है और मैं ही मालिक हूँ। तो उस बात से कैसे इंकार किया जा सकता है। इसलिए माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो भी तो हम एक्शन उसी हिसाब से ले सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ठीक है या नहीं। दूसरा हम यह देख सकते हैं कि उसकी दुकान पर दवाइयों में किसी किस्म की डुप्लीकेसी या आउट डेटिड दवाइयां तो नहीं हैं जिन से जनता का अहित होता हो। इन बातों पर हम पूरा कन्ट्रोल रखते हैं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि इस रजिस्ट्रार के खिलाफ सारे हरियाणा में रोष है। लोगों ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि वह बड़ी भारी फीस लेता है। क्या मंत्री जी बताएंगी कि इस रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था। उसके बाद उसको एक बार सर्विस से रिमूव भी किया गया था और बाद में फिर ले लिया गया। तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि एक रजिस्ट्रार जिसके खिलाफ सारे हरियाणा में मान्यता है कि he is a den of corruption. उसको हटाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जा रहा ? क्या यह संध्या कालीन सरकार उसको इसी तरह से संरक्षण देती रहेगी ?

बहिन करतारी देवी : स्पीकर सर, मेरे भाई चौहान साहब बार बार संध्या कालीन सरकार कहते हैं।

मैं इनको कुछ नहीं कह सकती ये चाहे कुछ भी बोलें लेकिन ये प्रोफेसर होते हुए भी इतनी गैर जिम्मेदारी से बोलते हैं कि मुझे खुद ग्लानि आती है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : आप अपनी कांस्टीच्यूएंसी कलानौर में तो जा नहीं सकतीं।

बहिन करतारी देवी : स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि मैं कलानौर में नहीं जा सकती। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों वहां पर सी०एम० साहब की मीटिंग हुई थी। सारे प्रदेश को पता है कि वहां पर लोग इतनी खुशी से आए थे जैसे प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बड़ी रैलियों में लोग आते हैं। उस रैली में महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले में थीं। मेरे प्रति मेरे हल्के के लोगों में इतना प्यार है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं चाहे एक गरीब परिवार से हूँ लेकिन फिर भी कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब मुझे किसी चीज की जरुरत हुई हो और वह मुझे नहीं मिली हो। राजनीति में किसी चीज की भी जरुरत पड़ सकती है लेकिन मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रही। मेरे प्रति मेरे हल्के के लोगों में इतना प्यार है। रही माननीय सदस्य के सवाल की बात इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि शिकायतें तो आती रहती हैं और उनकी जाँच होती रहती है। इस प्रकार की शिकायत आई तो हमने इस बारे में अपने विभाग से जांच न करवा करके विजिलैंस वालों से उसकी जाँच करवाई। जहाँ तक उनको सर्विस से हटाने का सवाल है वह इस सरकार ने नहीं हटाया, पिछली सरकार ने उनको सर्विस से हटाया था। उस सरकार का उनको सर्विस से हटाने का तरीका कायदे कानून के अनुसार नहीं था। इसलिए दोबारा हमारी सरकार आई और उनको दोबारा सर्विस में लगाया। एक रजिस्ट्रार की तीन साल की टैन्योर होती है। तीन साल के बाद उसको हटाया भी जा सकता है और टैन्योर बढ़ाई भी जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष को कोई फायदा पहुँचाने वाली कोई बात नहीं है। हमारे विभाग में तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होगी। उनके बारे में एक दो शिकायत मेरे पास आई । मैंने रजिस्ट्रार को और कम्पलेनेंट दोनों को बुला कर, सारा रिकार्ड मंगवा कर उनसे पूछा और मैंने देखा कि इस शिकायत में क्या सही है और क्या गलत है ? उस कम्पलेनेंट की शिकायत सही नहीं पाई गई। ज्यादातर शिकायतें इस प्रकार की आती हैं जैसे जिस कम्पलेनेंट ने रजिस्ट्रार को वह शिकायत की वह इस तरह थी। उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई किया। उसने अपनी फीस दे दी और अपनी दरखास्त रजिस्ट्रार को दे दी लेकिन जब उसके कागजात दूसरी स्टेट में वैरीफिकेशन के लिए भेजे तो उसका वहां पर कोई रिकार्ड नहीं मिला और उसके सर्टिफिकेट झूठे पाए गए। बजाय उसके खिलाफ केस होने के उसने रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत कर दी। ज्यादातर शिकायतें इस प्रकार की होती हैं। माननीय सदस्य ने एक बात यह कही कि वह रजिस्ट्रार लोगों के साथ ठीक से बात नहीं करता है। स्पीकर साहब, यह तो व्यक्ति के स्वभाव की बात है। मैंने उनको बार बार यह कहा है कि कोई काम चाहे एकदम न होता हो, हो सकता है उसमें कोई अड़चन हो लेकिन आप लोगों के साथ अपना व्यवहार ठीक करें।

Electricity Connections for Tubewells

***1288. Shri Mani Ram Keharwala :** Will the Minister for power be pleased to state —

(a) the total number of tubewell connections released in district Sirsa during the year 1995-96 to date; and

(b) the total number of test reports pending for releasing tubewell connections at present in the above said district togetherwith the time by which these connections are likely to be released ?

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान दिसम्बर की समाप्ति तक सिरसा जिला में 189 ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गए थे।

(ख) दिसम्बर, 1995 की समाप्ति तक ट्यूबवैल कनैक्शनों के लिए 2430 टैस्ट रिपोर्टें लम्बित थीं। नए कनैक्शनों का देना तथा नए आवेदन पत्रों का प्राप्त होना एक निरन्तर चलने वाली प्रकिया है। उपलब्ध स्रोत्रों पर निर्भर करते हुए अधिकतम संख्या में कनैक्शन देने के प्रयत्न किए जाते हैं।

श्री मनी राम केहरवाला : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो प्रायर्टी दी जाती है वह किस स्कीम के तहत दी जाती है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिन किसानों ने प्रायर्टी के हिसाब से कनैक्शन का पैसा भर रखा हो क्या उनके लिए कोई टाईम लिमिट है कि कितने दिन के अन्दर अन्दर उनको ट्यूबवैल का बिजली का कनैक्शन मिल जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आज एक ही कैश प्रायर्टी स्कीम लागू है जो 31-5-1995 से लागू की गई है। उसके चार हिस्से हैं। पाँच हजार रुपये जमा करवा करके प्रायरिटी में ले आते हैं। उसको केवल 20 मीटर तार देनी होती है जिसको केवल कनैक्शन कहते हैं। जिसको 366 मीटर तक की एल०टी० लाईन देनी हो उस द्वारा 10 हजार रुपये जमा करवाने पर भी प्रायरिटी देते हैं। इसके अलावा जिसको 20 मीटर एल०टी० लाईन देनी हो और साथ ही 63 एम०वी०ए० के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमैंट हो तो उसे भी 10 हजार रुपये जमा करने पर प्रायरिटी पर ले जाते हैं। चौथी कैटेगरी में एक प्रायरिटी उसे भी देते हैं जिसे 366 मीटर एल०टी० लाईन की आवश्यकता हो और साथ ही 63 एम०वी०ए० के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हो, उसे भी 15000 रुपये जमा करने पर प्रायरिटी पर कनैक्शन देते हैं। यह प्रायरिटी 31.3.1996 तक चालू रहेगी।

श्री मनीराम केहरवाला : जिन लोगों को प्रायरिटी पर कनैक्शन देने होते हैं क्या उनके लिए कोई टाईम लिमिट भी रखी गई है कि इतने दिन के अन्दर अन्दर कनैक्शन दे दिए जाएंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : जैसे जैसे दरख्वास्तें आती रहती हैं उसी हिसाब से प्रायरिटी स्कीम के तहत कनैक्शन देते रहते हैं। हमारे पास प्रायरिटी स्कीम के तहत 1169 दरख्वास्तें सारी स्टेट से आई और इनमें से 478 दरख्वास्तों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन दे चुके हैं। हमारी तो यही कोशिश है कि उनको जल्दी से पूरा कर दिया जाये।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रायरिटी पर जिनको कनैक्शन देने होते हैं उनके बारे में तो बता दिया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों को एप्लाई किए हुए 3-4 साल हो गए हैं और उनको अब तक कनैक्शन नहीं दिए गए हैं, उनको कब तक कनैक्शन दिए जाएंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से किसानों ने ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन एप्लाई किए हुऐ हैं लेकिन उनकी पाँच हजार रुपये देने की कैपिसिटी नहीं है। इनमें ऐसे भी लोग हैं जिनके डिमांड नोट कट गए हैं लेकिन फिर भी कनैक्शन नहीं दिए गए। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को किस हिसाब से प्रायरिटी देकर कनैक्शन देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : ऐसे लोगों को भी कनैक्शन मिलेंगे। इन सब की सीनीयोरिटी लिस्ट बनी हुई है। बाकायदा रिकार्ड मेनटेन किया जाता है और नम्बर के हिसाब से ही कनैक्शन दिए जाते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : कैश प्रायरिटी की तो लिस्ट बनी हुई आपने बताई। मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग पैसे जमा कराने में असमर्थ हैं उनको कनैक्शन देने के लिए अलग से कोई लिस्ट बनाई जाती है या एक ही लिस्ट है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, दोनों की अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। यदि हम 100 कनैक्शन रिलीज करते हैं तो उसमें से 80 कनैक्शन तो कैश प्रायरिटी लिस्ट में से देते हैं और 20 कनैक्शन जनरल कैटेगरी से देते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : 20 तो बहुत कम हैं, कम से कम 40 तो हों।

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के बहुत से लोगों ने मार्टगेज बैंक को अपनी जमीन लोन के बदले में गिरवी रखी हुई है। ऐसे लोगों ने भी बिजली के कनैक्शन एप्लाई किए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक कनैक्शन नहीं दिए गए जबकि उनको कनैक्शन बहुत जल्दी चाहिएं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये आदेश जारी करेंगे कि उनको प्रायरिटी पर कनैक्शन दिए जा सकें ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले पाँच सालों में हमने बहुत ज्यादा ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन दिए हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वर्ष 1991-92 में 23269, 1992-93 में 14373, 1993-94 में 4234, 1994-95 में 3233 और वर्ष 1995-96 में 1796 लोगों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन दिए हैं। यह बात सही है कि ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज की काफी एप्लीकेशंज पैंडिंग हैं और टैस्ट रिपोर्टस भी काफी पैंडिंग हैं। इस बारे सरकार भी चिंतित है कि किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन जल्दी दिए जाएं लेकिन जितनी बिजली की जरुरत हरियाणा प्रांत को है उतनी हमारे पास इस समय नहीं है। स्पीकर सर, फिर भी यह सरकार बहुत चिन्तित है कि किसानों को ट्यूबवैल्ज़ कनैक्शंज दिए जाएं और हर सैक्टर में 24 घण्टे बिजली दी जाए। अध्यक्ष महोदय, इस समय जितनी बिजली उपलब्ध है अगर हम सभी ट्यूबवैल्ज को कनैक्शन्ज़ दे दें तो पूरी बिजली नहीं दे पाएंगे। अगर ट्यूबवैल्ज़ को बिजली का कनैक्शन तो मिल जाए लेकिन बिजली न मिले तो फिर उस कनैक्शन का क्या फायदा है ? इसलिए सरकार ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए हैं। बिजली बोर्ड हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है कि इतनी बिजली जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जाए ताकि हर प्रकार के कनैक्शंज रिलीज़ किए जा सकें। ऐसे लोग जिन्होंने लोन लिया हुआ है लेकिन उनको कनैक्शंज नहीं मिल पाए हैं, उनकी भी एक कैटेगरी है और उसको प्रायरिटी देते हैं। 20% में वे भी शामिल हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है। (विघ्न) स्पीकर सर, सरकार के पास जितने रिसोर्सिज होंगे उसके हिसाब से ही सुविधा दी जा सकेगी।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, माननीय बिजली मंत्री महोदय ने जो ट्यूबवैल्ज़ कनैक्शंज पैंडिंग दिखाए हैं उनका ब्यौरा साल वाईज़ दिया है कि इतने इतने ट्यूबवैल्ज़ थे और इतनों को कनैक्शंज दिए गए हैं। यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार होने का दावा करती है लेकिन यह किसानों के लिए चिन्तित नहीं है। इन्होंने बताया कि वर्ष 1991-92 में 23269, 1992-93 में 14373, 1993-94 में 4234, 1994-95 में 3233 और वर्ष 1995-96 में 1796 कनैक्शंज दिए हैं। (विघ्न) मंत्री महोदय कृपया बताएं कि किसानों के कितने कनैक्शंज पैंडिंग हैं और कितने कनैक्शंज जारी किए गए हैं। फिगर्ज़ को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इनकी कनैक्शन देने में साल दर साल कमी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसका कारण क्या है ? स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि 80% प्रायरिटी कनैक्शन्ज़ देते

[प्रो० छत्तर सिंह चौहान]

हैं और 20% आम देते हैं जबकि यह उसके उलट होना चाहिए था। आम किसानों को 80% कनैक्शन्ज़ प्रायरिटी पर दिए जाने चाहिएं। क्या सरकार इस बारे पुनर्विचार करेगी ? इस सरकार ने किसानों के अहित के लिए यह फैसला किया। गरीब किसान के पास देने के लिए न तो 15000 रुपये हैं और न ही 20000 रुपये हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, छत्तर सिंह चौहान जी ने कहा कि यह किसानों के हित की बात नहीं है कि 80% कनैक्शन्ज़ प्रायोरिटी पर दिए जाएं। जिन कैटेगरीज़ की प्रायोरिटी है उनको प्रायोरिटीज़ पर कनैक्शन्ज़ देंगे। स्पीकर सर, जहाँ तक बिजली की जनरेशन का सवाल है, जनरेशन बहुत जरूरी है। कनैक्शन्ज़ तो हम तभी रिलीज़ कर देंगे जब सफीशिएंट मात्रा में बिजली की जनरेशन होगी। अगर बिजली उपलब्ध हो तो एक साल में ही हजारों कनैक्शन्ज़ दिए जा सकते हैं। इसलिए हम इस बात पर जोर डाल रहें हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली जनरेट कर सकें। स्पीकर सर, 72,000 कुल एप्लीकेशन्ज़ पैंडिंग हैं और 24 हजार टैस्ट रिपोर्टस पैंडिंग हैं। इन सब को तो एक साल में ही निपटाया जा सकता है। अगर हमें पूरी बिजली उपलब्ध हो जाए तो एक साल में ही 72,000 एप्लीकेशन्ज़ को साफ किया जा सकता है। उम्मीद है कि जिस प्रकार पावर प्रोजैक्टस पर दस्तख्त हुए हैं, एम०ओ०यू० साईन किए गए हैं, अगर यह बात पूरी तरह से चल पड़ी तो 18 महीने में ही इतनी बिजली उपलब्ध हो सकेगी कि हर सैक्टर की जरूरत पूरी हो सकेगी। चाहे वह डौमैस्टिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल, चाहे इण्डस्ट्रियल सैक्टर हैं, सभी को 24 घण्टे बिजली देने के लिए हो जाएगी। (थम्पिंग)

Mr. Speaker : Question Hour is over.

राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा श्री सूरजमल, एम०एल०ए० के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी मामले को उठाना।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने कल प्रिवलेज़ मोशन के बारे में कहा था कि वह विचाराधीन है और आज उस पर चर्चा करवाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस पर अपना निर्णय देकर उसको स्वीकार करें ताकि उस पर चर्चा हो सके।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ वह एक एम०एल०ए० की व्यवस्था का सवाल है। आज से दो-अढ़ाई महीने पहले की बात है और इस बारे में मैंने आपके नोटिस में भी लाया था और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में भी लाया था।

श्री अध्यक्ष : सूरज मल जी यह अन्डर एग्जामिनेशन है। इस बारे में आप मेरे से मेरे चैम्बर में या मुख्य मंत्री जी से उनके चैम्बर में मिल लेना। हम वहीं पर बात कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, वह आदमी एक महत्त्वपूर्ण महकमे का आदमी है। वह आदमी बहुत ही बदतमीज है जिसको वहाँ पर लगा रखा है। मैं तो वहां पर उनसे अन-औथोराईज व्हीकलज़ को रोकने के बारे में जानकारी लेने गया था और उसने मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाली।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बात मेरे नोटिस में लाई थी और हमने बाकायदा इसकी जाँच भी करवाई है। उस बारे में मैं यहाँ बता दूं तो यह ठीक नहीं होगा। ये अलग से मेरे पास आएं तो मैं इनको बता दूंगा कि क्या बात है ?

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : * * * * * * * * * * * * * * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने भी थोड़ा सा सुना था। मुख्य मंत्री जी यहीं पर इस बारे में रोशनी डालें। एक आनरेबल मैम्बर के साथ मिस बिहेव किया जाए यह बहुत ही गलत बात है। उसके बाद आनरेबल मैम्बर को प्रिंसीपल सैक्रेटरी बुलाए और कहे कि इनसे बात कर लें। उनको तब बुलाया गया जबकि वहां पर मुख्य मंत्री जी नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, यह तो ब्रीच आफ प्रिवलेज है। अगर मैं गलत हूँ तो आनरेबल मैम्बर इस पर रोशनी डाल दें।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, वह आफिसर मेरे से माफी मांगने आया था जिसके लिए मैंने मना कर दिया।

चौधरी बंसी लाल : आप यह बताएं कि प्रिंसीपल सैक्रेटरी ने आपको वहां बुलाया था ?

श्री सूरजमल : हां उसने तो मुझे बुलाया था।

Mr. Speaker : The member has agreed. It is all over.

(Noise & Interruptions.)

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, यह बात इस तरह से करने की नहीं है। जब मुख्य मंत्री जी ने उन्हें कह दिया है कि आप मेरे चैम्बर में आ जाना और मैं आपको सारी बात बता दूंगा तो ये बिना वजह से इस बात को यूं ही उछाल रहें हैं। यह इनकी आपस की प्राईवेट बात है।

Mr. Speaker : As the hon'ble member has already agreed, he will talk to the Chief Minister in this regard, the matter is over. Now no more discussion on this issue. (Noise & Interruptions).

श्रीमती चन्द्रावती : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, मैं आपको और मुख्य मंत्री जी को भी कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं भी पहले एक आफिसर के खिलाफ प्रिवलेज मोशन लाई थी लेकिन उसके बाद वह मोशन ड्राप कर दिया गया था। लेकिन जो इस तरह के औफिसर्ज मिस बिहेव करने वाले होते हैं, उनको अगर आप कुछ न कहें या उनके खिलाफ आप प्रिवलेज मोशन न लाएं तो कम से कम मुख्य मंत्री जी को उनको वार्निंग तो जरूर देनी ही चाहिए। यह तो बहुत ही गलत बात है कि वे एम०एल०एज० से मिस बिहेव करते हैं। हम कोई अपने फायदे के लिए तो उनके पास नहीं जाते या हम कोई जायदाद मांगने उनके पास नहीं जाते हैं बल्कि हम तो लोगों के कामों के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन अगर वे एम०एल०एज० से इस तरह का बिहेवियर करें तो यह उनको माफ करने वाली बात नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि ऐसे औफिसर्ज को वार्निंग तो अवश्य ही दी जानी चाहिए। वैसे इस तरह के औफिसर्ज एक आध ही हैं लेकिन फिर भी अगर हम उनको ऐसे ही ढीला छोड़ देंगे तो यह सही नहीं होगा। हम पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, हम उनसे कोई रियायत लेने नहीं जाते, हम कोई अपने लिए फायदा लेने नहीं जाते। तो स्पीकर सर, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस बात की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने कह दिया कि यह उनकी प्राईवेट बात है। अगर इसी आगस्ट हाउस के मैम्बर की बेइज्जती की जाती है और यहां पर वह बात आ जाए तो फिर वह बात उनकी प्राईवेट बात तो नहीं रहती। It is the property of the House. The hon'ble

[चौधरी बंसी लाल]
member admits it and he says that it was said by the Principal Secretary to Chief Minister that officer wanted माफी वगैरह जो कुछ भी था that does not mean that the matter ends there. House is a House and the Hon'ble Member is a Hon'ble Member of the House. यह आनरेबल मैम्बर और मुख्य मंत्री जी के बीच का प्राईवेट काम नहीं है और अगर यह प्राईवेट काम होता तो यह यहाँ पर क्यों आता ? आप इसको वहां पर ही सुलट लेते। यह बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है इसलिए यह बात हाउस में डिस्कस होनी चाहिए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हर सिविल सर्वेन्ट को सभी माननीय सदस्यों का मान और सम्मान करना चाहिए। उनका यह पहला कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे सभी की इज्जत और मान करें। कहीं कहीं पर अगर कोई बात ऐसी हो जाती है तो उस बात की जांच करवा कर दोषी आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। हमने इस बात के लिए भी प्रिंसिपल सैक्रेटरी को चैक करने के लिए कहा हुआ है कि आप चैक करके बताएं कि इसकी क्या पोजीशन है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो बात हमें इस बारे में बताई है उसको यहां इस हाउस में कहना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने चौधरी सूरजमल जी से कहा है कि वे मुझसे अलग से इस बारे में बात कर लें। हमने तो बहिन चन्द्रावती जी से भी उस एस०डी०एम० के बारे में कहा था और हमने उसी वक्त उस एस०डी०एम० को वहां से बदल दिया था यानी हमने तुरंत ही ऐक्शन लिया था। ऐसी बात नहीं है कि हम एम०एल०एज० की इज्जत नहीं करते, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। कुछ हालात और कुछ कारण होते हैं। इन्होंने लिख कर दिया है कि उस औफिसर के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए क्योंकि उसने इनको कुछ कह दिया था। अध्यक्ष महोदय जो ठीक बात होगी हम वही करेंगे। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सारे औफिसर्ज सभी माननीय सदस्यों का पूरा आदर और सत्कार करेंगे। हमने सभी अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए हुए हैं। जब भी हमारी डी०सीज०, एस०पीज० और सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है जिसमें चीफ सैक्रेटरी एवं कमिश्नर वगैरह होते हैं तो बाकायदा यह हिदायत देते हैं कि चाहे कोई अपोजीशन का एम०एल०ए० हो या रुलिंग पार्टी का एम०एल०ए० हो या किसी भी और पार्टी का एम०एल०ए० हो, उनकी पूरी इज्जत होनी चाहिए। अगर किसी का भी टेलीफोन आता है तो आप यह न कहें कि बाथरूम में हैं या पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने सबको कहा हुआ है कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी टेलीफोन आने के समय बाथरुम में भी है तो बाद में उसको उनसे बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या काम है ? अगर वह काम करने वाला हो तो करें और अगर वह काम न करने वाला हो तो न करें। लेकिन कम से कम बात तो सुनें, ऐसी बाकायदा हिदायतें हैं। मैं तो इतनी ही बात कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुकाबले में दूसरे प्रदेशों में जाकर देखें कि लोगों की कितनी शिकायतें हैं, विधायकों की और एम०पीज० की कितनी शिकायतें हैं। यहां एक-आधी बात हुई है उसका भी मुझे खेद है और संबंधित अधिकारी को जो कह सकते थे उनको वह कहा भी है। फिर भी कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्यों की तसल्ली की जाए।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, आनरेबल मैम्बर ने कहा है कि उनको माँ-बहन की गालियाँ दी गई और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों में जाकर लोगों की शिकायतें देखें। दूसरे प्रदेशों में अगर मर्डर होते हैं तो क्या यहाँ पर भी होने चाहिएं ? सवाल इस बात का है कि आनरेबल मैम्बर को माँ-बहन की गालियाँ दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। मेरी मैम्बर से कोई व्यक्तिगत हमदर्दी नहीं है। वे आपकी पार्टी के मैम्बर हैं मेरी हमदर्दी यह है कि I am concerned with the honour of the Hon'ble Member of this august House. This is my concern, otherwise nothing. मैं यह कहता हूँ कि जब यहाँ तक बात पहुंच गई है तो बजाय इसके कि आप इंक्वायरी करें यह मामला प्रिविलेज कमेटी

को दे दें। इसमें भी बहुमत आपका ही है।

श्री सूरजमल : स्पीकर सर, उस औफिसर ने दस आदमी मुझे धक्के देकर बाहर निकालने के लिए बुलाए और कहा कि पांच महीने बाद तुम तो रोड पर होगे और मैं यहीं कुर्सी पर हूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Chaudhary Bansi Lal : Now, this matter aggravates further. It has gone far beyond that you cannot say that we can stop this matter here, may be the Chief Minister and Hon'ble Member belong to the same party. Whatever is being described by the Hon'ble Member on the floor of the House, it cannot go unheard. It is a very serious matter as the officer has abused him like anything and then the Hon'ble Member says that so many people were called to push him out. So, this matter must go to the Privilege Committee for examination.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं सका कि चौधरी सूरज मल जी ने जो अब कहा यदि उनको इतनी तकलीफ थी तो पहले दिन ही कह देते। सूरज मल जी ने अभी तक लिख कर नहीं दिया। उस अधिकारी ने मुझे और चीफ सैक्रेटरी को लिख कर भेजा कि मेरे कमरे में आकर इन्होंने दुर्व्यवहार किया। अगर हम एक एम०एल०ए० की जांच कराएं तो यह शोभा नहीं देता इसीलिए मैंने धनेन्द्र कुमार और C.S. के जिम्मे यह काम लगाया और कहा कि उस ऑफिसर को बुलाओ और हम सूरज मल जी को बुला लेते हैं। अधिकारी ने गलती की है तो उससे सौरी फील कराएंगे। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया है तो हमको इस बात के लिए खेद है और सही बात पाई गई तो हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेटरी ने मुझे उस अधिकारी से माफी मंगवाने के लिए बुलाया था लेकिन मैंने इंकार कर दिया था कि माफी वाली बात नहीं है। इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत भद्दे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, माफी वाली बात नहीं है। अगर आप इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं तो ले लें। चीफ सैक्रेटरी यहां मौजूद हैं। (विघ्न)

Chaudhary Bansi Lal : It has become more clear. There is no difficulty in referring this case to the Privilege Committee.

Mr. Speaker : There should be a respect for M.L.As. and you are requested to take the decision immediately after enquiry.

पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न की सूचना /

सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल तथा छत्तर पाल सिंह के निलम्बन को

रद्द करने संबंधी मामला उठाना।

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिविलेज मोशन का क्या रहा ?

Mr. Speaker : The orders for prohibiting the suspended members to preserve orders in the precincts of the Haryana Vidhan Sabha Estate were passed by me and announcement has also been made in the House. I have gone through the contents of the motion. It does not require any intervention and hence I withhold my consent to move the motion and rule the motion out of order.

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, दिनांक एक मार्च की हाउस की प्रोसीडिंग्ज हमें पढ़कर सुना दीजिए। उसको पढ़कर सुनाने में आपको क्या दिक्कत है ?

It is nobody's private property. It is the property of the House.

श्री अध्यक्ष : मैंने कल मोटी-मोटी बातें सुना दी थीं। उनको मैं दोबारा रीपीट कर देता हूँ।

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : स्पीकर सर, इस बारे में इनको बार-बार कहा है कि सुनाना जरूरी नहीं है। अगर सुनना है तो आपके चैम्बर में आकर सुन लें। जब प्रिविलेज मोशन को रिजैक्ट कर दिया तो उस पर सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह तो उससे पहले की बात करते हैं। इसलिए इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल बकील हैं। मैं बकील तो नहीं हूँ लेकिन तजर्बे से आपको बताता हूँ कि आपके पास तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर की हैसियत है। अगर आप उनसे पहले स्पीकर बनें हैं तो आप प्रोटोकोल में उनसे ऊपर हैं। अगर चीफ जस्टिस महोदय से कोई आदमी यह पूछे कि आपने किसी को सजा दी है तो कैसे दी है और उस सजा में क्या लिखा है, क्या वे उस आदमी को बताएंगे ? क्योंकि उन्होंने जो आर्डर सुना दिया वह आर्डर ही फाईनल आर्डर होता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे यह भामला सब जुडिस है क्योंकि वे इसको हाई कोर्ट में लेकर गये हैं। इसलिए इस केस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अगर किसी को सजा देता है तो उसको पूरी हियरिंग का समय देता है। बाकायदा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ही फैसला करतें हैं। लेकिन हमारी बात तो सुनी ही नहीं गई। एक तरफा फैसला कर दिया गया। हम कह रहें हैं कि हमको पहली मार्च की प्रोसीडिंग पढ़ कर सुना दो। उन की ऐसी कौन-सी अन-पार्लियामैंटरी, डैरोगेटरी या डैफामेटरी बात है जो उन्होंने कही है जिसकी बिनाह पर उनको हाऊस से निकालने की नौबत आई है। हम यही कह रहे हैं कि हमें प्रोसीडिंग दिखा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बंसीलाल जी, प्रोसीडिंग दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि प्रोसीडिंग के बाद ही उस पर प्रिविलेज मोशन लाया गया था।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रोसीडिंग के बाद इन्होंने प्रिविलेज मोशन दिया है और आपने उस पर रूलिंग दे दी है इसलिए उसके पीछे जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह मैटर यहीं क्लोज होना चाहिए ताकि आगे की कार्यवाही चल सके।

प्रो० रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो आबजर्वेशन दी है उसके बाद हम आपकी शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते। परन्तु स्पीकर सर, you are the master of this House. You are the custodian of this House. मैनें कल भी अपनी रिक्वैस्ट में आपसे कहा था कि मैं रूल 265 को पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार इसको रिपीट न करें। मैनें कल आपको यह पढ़कर सुना दिया था कि when a motion for suspension under Rule 104 was brought by the Parliamentry Affairs Minister, I have no option except to place it before the House and the House passed it. Such an order of the House is binding for all.

The House is master of itself. Now no more discussion on it.

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम यही बात तो चाहते हैं कि हुआ क्या था उस दिन और क्या आपने उन दो विधायकों को नेम किया था ? क्या आपने उनको अपरच्यूनिटी दी थी ? आपने तो उनकी बात को सुना ही नहीं, एक तरफा डिग्री दे दी। आपने प्रोसीडिंग सुनने की इजाजत भी नहीं दी। वह सीधे ही मोशन ले आए और वह पास हो गया।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, कृपया बैठिए।

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी बताया था कि दो तरीके से मैम्बर्ज का सस्पैंशन होता है। एक तो सुओ मोटो से कि पहले वार्निंग दें, फिर नेम करें तथा फिर सस्पैंड करें। दूसरा तरीका है कि कोई मैंबर ऑफ दि हाऊस या पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर मोशन ले आए। इस केस में पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर की तरफ से मोशन आ गया कि उनको सस्पैंड कर दिया जाए। मैम्बर्ज का व्यवहार ठीक न हो तो आपके पास अध्यक्ष महोदय, कोई चारा नहीं रह जाता कि उसको हाऊस में पुट न करें। What was left with the speaker except this.

हाऊस में जब इसको अमूव कर दिया गया, कैरी आउट हो गया तो क्या रह जाता है। उसके बावजूद कहना कि उसको सुना भी दो कि क्या हुआ, क्या-क्या बात है। यह कहना बिल्कुल अप्रासंगिक है कि क्या हुआ, कैसे हुआ ? It becomes irrelevent totally. Action was not taken suo-motto by the Speaker but it was taken on the initiative of the Parliamentry Affairs Minister.

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम यही तो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ ? जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि क्या हुआ तो उसकी सुओ मोटो की बात कहां से पैदा होगी ? पैदा तो तब होगी जब आपकी प्रोसीडिंग्ज में कोई अनपार्लियामैंटरी, डैरोगेटरी, डैफेमेटरी शब्द आए हों। अगर आप हमको जरा सुनवा दें तो बात साफ हो जाएगी। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, हर मैंबर का यह फर्ज है कि वह हाऊस में हाजिर हो। आप उस वक्त हाजिर नहीं थे जब यह हुआ। यहां पर प्रत्येक पार्टी के मैंबर थे, आपकी पार्टी के भी थोड़े से मैंबर थे। उन्होंने यह सारी बात देखी है, सुनी है। उन्होंने ही नहीं प्रैस ने भी सारी बात देखी व सुनी है तथा जो विज़िटर्ज और आफिसर्ज हैं, उन्होंने भी देखी है। इस प्रकार से हरेक चीज की सबके सामने खुली किताब है। (विघ्न) बंसी लाल जी, प्रोसीडिंग्ज ऑफ दी हाऊस भी सारी छपती हैं, उनको भी आप पढ़ लें that is a public document. (Noise & Interruptions) वह सब छपती हैं। बाकायदा लाईब्रेरी में रखी जाती हैं। वहां कोई किसी को नहीं रोकता। यही नहीं आप चाहें तो पिछली भी पढ़ सकते हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप एक चीज़ सोचें कि पार्लियामैंट में कोई सदस्य तकरीर करके जाए तो उस दिन की पूरी स्पीच अगले दिन 8 बजे सवेरे उसके घर पहुँच जाती है। यहां तो हमने सिर्फ पहले दिन की औबिच्यूरी रैफ्रैंसिज की प्रोसीडिंग्ज तो देखी है लेकिन बाकी की प्रोसीडिंग्ज अभी तक नहीं आई हैं। हम क्या देखें, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा हवाला दे दूं इन भाईयों का और मुख्य मंत्री जी का। गवर्नर साहब ने अपने एड्रैस में कहा था कि मेरी गवर्नमैंट जो है वह "जस्ट गवर्नैंस" है और "जस्ट गवर्नैंस" क्या है ? आपने इस सदन में रिपोर्ट पेश की, हरियाणा सरकार ने पेश की। उसके हिसाब से सी.एंड. ए. जी. highlights instances of defective budgeting.....(Noise & interruptions)

Mr Speaker : Chaudhry Sahab, this is not the subject under discussion. (Noise & interruptions) Nothing to be recorded...

चौधरी बंसी लाल : फिर अध्यक्ष महोदय, यूँ आप कैसे निकाल सकते हैं ? मैं कोई अनपार्लियामैंटरी बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ कलीयरली कह रहा हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव / नियम 84 के अधीन प्रस्ताव की सूचना

प्रो० राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले की एक बात है जोकि नवभारत टाइम्स

[प्रो० राम विलास शर्मा]

जो कि एक बड़ा सम्मानित अखबार है, में भी छपी है। होली के अवसर पर फरीदाबाद जिले के सीकरी गांव में 35 हरिजनों के घर जला दिए गए। एक हरिजन को जान से मार दिया गया और 3 भैंस मर गईं। इतना भारी आंतक वहां पर फैला हुआ है। मैंने आज इस बारे में एक काल अटैंशन मोशन दिया है। लगातार यह सरकार हरिजनों का उत्पीड़न कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आप इतना लंबा भाषण न करें।

प्रो० रामविलास शर्मा : स्पीकर सर, यह बड़ी संगीन बात है।

श्री अध्यक्ष : अभी दस मिनट पहले हमने यह कागज उधर दिया है और मैंने इस पर गवर्नमैंट के कमैंट्स मांगे हैं।

प्रो० रामविलास शर्मा : स्पीकर सर, यह आखिरी सैशन है, कमैंट्स पता नहीं कब तक आएंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी राम विलास शर्मा जी ने अपनी पूरी बात कह दी। तो मैं सरकार की तरफ से हाऊस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि होली वाले दिन वाकई वहां झगड़ा हो गया। बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन के सीकरी गांव में 35 लोगों के घर जला दिए गए तथा एक हरिजन मारा गया। इस केस में जितने भी मुलजिम थे उन सब को पकड़ लिया गया है। कोई भी मुलजिम नहीं बचा जिसको न पकड़ा गया हो। उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जा चुकी है। गांव के लोगों को तथा जिनका आदमी मरा उनको पूरी तसल्ली हो गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने वाकायदा पूरी तेजी से कार्यवाही की है। वहां पर जो आदमी मर गया था उसके परिवार को हमने एक लाख रुपए की सहायता दी है तथा और भी जो मदद चाहिए थी वह भिजवा दी है।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, आपने मेरे मोशन के बारे में कहा कि वह अंडर कंसिडेशन है। यह तो हमारे साथ ज्यादती है क्योंकि आज सैशन का आखिरी दिन है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जब चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लैरिफाई कर दिया तो उसका जवाब आ गया। अगर इस बारे में इनके पास कोई और डिटेल होगी तो इन से ले कर आपको भेज देंगे।

प्रो० राम विलास शर्मा : लोगों के घर जलाए गए, वे सड़कों पर बैठे हैं। उनके पशु भी मारे गए। इसलिए इस बारे में हमें पूरी डिटेल चाहिए।

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी आप बैठिए।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैंने 28 फरवरी को एक मोशन अंडर रूल 84 दी थी कि हरियाणा में जो पुलिस की भर्ती की गई थी उसमें 1700 सिपाहियों की सिलैक्शन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपना मोशन पढ़ने की इजाजत दी जाए।

श्री अध्यक्ष : वह डिस अलाउ कर दिया गया है।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, कल मैंने एक काल अटैन्शन मोशन भी दिया था कि हरियाणा में किस तरह से नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा का एस०एस०एस० बोर्ड स्कूल मास्टर्ज की वेकैंसी दो मार्च को एडवरटाईज करता है और डी०पी०आई० स्कूल्ज उनको 22 फरवरी को अप्वायंटमैंट दे देता है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह भी डिस अलाउ हो गया है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, पानीपत में जो कम्बल खरीदे गए थे मैंने उस बारे में एक काल अटैंशन मोशन दिया था कि 60 रुपए वाला कम्बल 118 रुपए में खरीदा गया।

श्री अध्यक्ष : आप कल उस बारे में बोल चुके हैं और यह सारी बात डिसकस हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि एक दिन में एक ही काल अटैंशन मोशन आ सकता है। इस लिए आप का मोशन डिस अलाउ किया जाता है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मैंने एक प्रस्ताव कल आपकी सेवा में दिया था कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर रिहैबलीटेशन डिपार्टमैंट की जमीन को आठ हजार रुपए और 15 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से बेचा जा रहा है। उस जमीन को रूल्ज की अवेहलना करके बेचा जा रहा है। मंत्री जी इसमें दोषी हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह डिस अलाउ कर दिया गया है। (शोर)

11.00 बजे श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैंशन मोशन खुलिया गिंडी के बारे में दिया था। जैसे हाकी की गेम खेली जाती है वैसे ही हमारे यहां यह गेम खेली जाती है। मैं चाहती हूँ कि अगर इसको राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी जा सकती तो कम से कम प्रान्तीय गेम की मान्यता तो जरूर दी जानी चाहिए। हम सब जगहों से हार कर आते हैं। मैं तो इस तरह के समाचार सुनकर रेडियो को बंद ही कर देती हूँ कि हम हारे हुए हैं। यह खेल भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है और हमारे लोक गीतों के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप को बोलने के लिए खुला टाईम दिया गया था और आप इस सबजैक्ट पर बोल चुकी हैं। (शोर)

वाक आउट

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, आज जंगल का राज है * * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : ये जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : तो फिर स्पीकर साहब मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूँ।

(इस समय माननीय सदस्य प्रो० छत्तर सिंह चौहान सदन से वाक आउट कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

Mr Speaker : As regards the calling attention motion given by Shri Ram Bhajan Aggarwal, M.L.A. regarding polluted drinking water in Bhiwani, there is no need to take it up as the Hon'ble Member is not present in the House.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा तथा मुख्य मन्त्री द्वारा घोषणा

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सारे विश्व के अंदर सारी सरकारें महिला दिवस मना रही हैं। सारे विश्व की सरकारें यह सोच करती हैं कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो और महिलाओं की तरक्की कैसे हो ? आज यह दिन है जिसमें निश्चित किया जाएगा और संकल्प किया जाएगा कि अगर आज के दिन को आत्म विश्लेषण का दिन कहें तो उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस समाज के अन्दर कहा जाता है कि गाड़ी के दो पहिए समान होने चाहिएं। मुझे लगता है कि उसमें हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ जोड़ा जाए। मैं इस बारे में सुझाव भी देना चाहती हूँ और सरकार को बधाई भी देना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। हरियाणा सरकार ने नारी जाति के सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जब हमारे मुख्य मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय इन्होंने सारे हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने यह प्रतिज्ञा ली थी कि लड़कियों को बी०ए० तक की शिक्षा मुफ्त दिलाएंगे। मैं इनको इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने वह सब कुछ किया है। (थम्पिंग) अध्यक्ष महोदय, एक स्कीम बहुत ही बढ़िया चलाई है "अपनी बेटी अपना धन" महिलाओं में यह कहा जाता था कि जिस महिला के बेटा होगा वही महिला भाग्यशाली होगी और वही अच्छी होगी। लेकिन यह "अपनी बेटी अपना धन" जो स्कीम है यह कोई भी सरकार नहीं कर सकी, यह हमारी सरकार ने की है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। हमारे प्रधान मंत्री जी सारे भारतवर्ष में यह स्कीम लागू करना चाहते हैं।

"यत्र पूज्यन्ते नारीत्व:

तत्र रमन्त: देवता"

जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं।

आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। विश्व भर में महिलाओं के स्तर के बारे में विचार-विमर्श हो रहा है और हर सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पुन: संकल्प करती है। महिलएं अपने घर-परिवार को समझदारी से सम्भालती हैं और इस कार्य में दिन भर परिश्रम करती हैं चाहे वह पानी लाना हो, ईंधन लाना हो, खेतों में काम करना हो या फैक्टरियों में काम करना हो। इसके अतिरिक्त वे बच्चों को जन्म देती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। उनका सम्मान समाज और परिवार में बना रहे उसके लिए जितना भी हम अधिक से अधिक प्रयास कर सकें, हमें करना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है जैसे कि स्नातक स्तर तक शिक्षा मुफ्त की है। "अपनी बेटी अपना धन" स्कीम को चालू किया, पंचायत चुनावों में एक तिहाई महिलाएं सरपंच और महिला पंच बनी हैं। आई०आर०डी०पी० और ट्राईसम में 40 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। जवाहर रोजगार योजना में भी 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होती हैं। मिड-डे-मील स्कीम के लागू होने से भी अब यह उम्मीद की जा सकती है कि लड़कियों की स्कूल प्रवेश संख्या में सुधार होगा।

इतना करने के बावजूद अभी भी बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जब इतने वर्गों के लिए उन्होंने सहानुभूति दिखाई है, महिलाओं की तरफ भी ध्यान दें। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं।

मेरे विचार में शिक्षा स्तर में सरकार द्वारा महिलाओं के पक्ष में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएं तो वे खुद भी आत्मनिर्भर हो जाएंगी, परिवार भी छोटे होने लगेंगे और उनके

कमाने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि :—

1. प्रत्येक परिवार में एक लड़की को 8वीं कक्षा तक 100/— रुपए सालाना पुस्तक भत्ता दिया जाए।
2. प्रत्येक जिले में 200 छात्रवृत्तियां मिडल, मैट्रिक व जमा दो की परीक्षा के बाद दी जाएं, क्रमशः 50/- रुपए, 75/—रुपए व 100/- रुपए की दर से।
3. बोर्ड की पांचवी, आठवीं, और दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों को अपने परिणामों में सुधार लाने तथा अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए पूरक कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।
4. लड़कियों को शारीरिक तौर पर ठीक रखने एवं उनमें आत्म विश्वास बनाने के लिए उन्हें स्कूलों एवं कालिजों में कराटे एवं योग सिखाए जाएं।
5. सह शिक्षा कालेजों में लड़कियों को सुविधाएं, जैसे कि कामन रूम तथा अलग शौचालय प्रदान किए जाएं।
6. महिला मण्डलों को लिए पंचायत की जमीन पर भवन बनाने के लिए पैसे दिए जाएं।
7. किशोर बालिकाओं विशेषकर जो शिक्षा प्रणाली को छोड़ गयी हैं, की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षण कैप्सूल विकसित किए जाएं और किशोर कन्याओं के लिए लागू किए जाएं। यह उनको न केवल शादी एवं मातृत्व की जिम्मेवारी के लिए ही अपितु रोजगार के लिए भी तैयार करेंगे।
8. सरकार चरणबद्ध तरीके से संस्थाओं में लड़कियों के लिए आवासीय सुविधाओं का विस्तार करे।

इसी प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण उनके आर्थिक क्षेत्र में एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए भी काम करें।

परिभाषा द्वारा किसी भी सहकारी समिति की प्राथमिक सदस्यता भी पति और पत्नी के संयुक्त नाम से हो जहां भी ऐसा लागू हो सके।

नियमित उचित कीमत की दुकानों के आवंटन में, वह व्यक्ति जो पत्नी के नाम के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करता है, को प्राथमिकता दी जाए।

पंचायत भूमि, पंचायत के तालाबों या वन भूमि को पट्टे पर आवंटन करने में सबसे बढ़कर प्राथमिकता पति और पत्नी के संयुक्त आवेदन पत्र को दी जाए।

महिलाओं के कृषि, पशुपालन एवं संबंधित क्षेत्र जैसे कि खुंबी उगाना, रेशम के कीड़े पालना, फूल उगाना, मधु मक्खी पालने व मतस्य पालन में विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। महिला किसानों को विस्तार सहायता भी प्रदान की जाए।

औद्योगिक सम्पदाओं में प्लाटों का एक विशेष प्रतिशत महिला आवेदनकारों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।

आर्थिक कार्यों के लिए महिलाओं को उपयुक्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिलों में बैंक स्थापित किए जाएं जिनमें केवल महिला स्टाफ हो।

मंडल स्तर पर परिवार न्यायालय (फैमिली कोर्ट) स्थापित किए जाएं जिनमें अधिकांश महिला न्यायाधीश हों।

राष्ट्रीय महिला आयोग के नमूने के तौर पर राज्य महिला आयोग की स्थापना की जाए।

[श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया]

प्रत्येक मण्डल स्तर पर एक पुलिस स्टेशन जिसमें केवल महिला पुलिस अधिकारी तैनात हो, की स्थापना महिलाओं के प्रति हिंसा को नियंत्रित करने के विशेष प्रयत्न किए जाएं।

सरकार हुड्डा और आवास बोर्ड को ऐसी महिलाओं के लिए प्लाट आरक्षित करने बारे निर्देश जारी करे।

विधवाओं की आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन सरकारी निगमों द्वारा 5 प्रतिशित सबसिडी बढ़ा कर दिया जाये।

सरकार के प्रयासों के साथ साथ स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयास होने भी जरूरी हैं।

हरियाणा में स्वैच्छिक संस्थाओं की कमी है, उनको भी सरकार प्रोत्साहन दे। महिला संबंधी विशेष स्कीमें चलाने के लिए खासतौर पर महिलाओं को संगठित करना और उनको प्रशिक्षित करना, क्रैचें चलाना तथा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यदि पूरी सुविधाएं सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाएंगी तो महिलाएं इस समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए और अच्छा काम कर पाएंगी। महिलाओं पर ही घर का सारा दायित्व होता है। भारतवर्ष के हर नागरिक की अच्छी सेहत हो, वह अच्छा नागरिक बन सके इसमें महिला ही अधिक सहयोग दे सकती है। महिला की जो डियूटी है वह पुरुष की निस्बत ज्यादा है। इस समाज में यह कहा जा सकते हैं कि नारी-पुरुष गाड़ी के दो पहिये हैं जो कि बराबर हैं। लेकिन अभी हमें यह लगता है कि अगर महिलाओं के लिए ये सब सुविधाएं और जोड़ दी जाएंगी तो दोनों पहिए बराबर हो जाएंगे क्योंकि अभी लगता है कि एक पहिया कमज़ोर है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह अनुरोध करती हूँ कि हमें यह सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि हम आपके बराबर चल सकें। जो सुविधाएं पहले ही महिलाओं को दी गई हैं, मैं उनके लिए मुख्य मन्त्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और जिन सुविधाओं के बारे में हमने मांग की है, वे सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाने में सहयोग दें। धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : स्पीकर सर, हमारी माननीय बहिन शकुन्तला भगवाड़िया जी ने जो सुझाव रखे हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए चर्चा इस समय हो रही है। स्पीकर सर, आप स्वयं बार-बार प्राचीन भारत की गौरव गाथाएं हमें बताते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भारत में नारी का मान बहुत ऊंचे स्तर पर रहा है। यहां पर तब तक कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता था जब तक कि पत्नी साथ न हो। नारी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता रहा है। इसी कारण यह कहा जाता रहा है कि "यत्र पूज्यन्ते नारीत्वः तत्र रमन्तः देवता" नारी को समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था और उसे समाज का गौरव समझा जाता था। परन्तु पराधीनता के दिनों में इस मामले में बहुत सारी कमियां और कमजोरियां आ गई हैं। मध्ययुगीन भारत में पराधीनता के दिनों से पहले और खासतौर पर पराधीनता के बाद बहुत सी कमियां और कमजोरियां हमारे समाज में आ गई और नारी का कोई स्थान ही नहीं रहा। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व ही खत्म हो गया। वह तो सिर्फ जानी जाने लगी कि किस की बेटी है, जवान हुई तो किस की पत्नी है और बूढ़ी हो गई तो किस की मां है, यही उसका परिचय हो गया। जैसे अपने आप में उसका कोई नाम ही नहीं, अपना कोई परिचय या स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं, ऐसा समाज में प्रचलित हो गया। आज के दिन मैं उन महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से स्मरण करती हूँ, स्वामी विवेकानन्द, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानन्द और

स्पीकर सर, सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम परिवारों की जो महिलाएं हैं उनमें जागृति लाने का काम किया। राज घराने की महिलाओं को तो शायद उनके माता-पिता ने रानी भी बनाया हो और अपनी बेटी को बेटे की तरह उच्च शिक्षा भी दी हो और उनके बड़े काबिल शासकों में नाम भी लिए जाते रहें हों। लेकिन आम जनता में पहली बार महात्मा गांधी ने जब सत्य और अहिंसा का मार्गदर्शन करते हुए शराब की पिकेटिंग के लिए आह्वान किया तो कहा कि यह काम भाई नहीं कर सकते हमारी बहनें करेंगी। यानि उन्होंने दिखाया कि नया जमाना, जिसमें अहिंसा का सहारा लेना है वह शारीरिक शक्ति का काम नहीं बल्कि बुद्धि, सहन शक्ति और धीरज का काम है। उन्होंने नारी को एक नया हौंसला दिया और कहा कि महिलाएं इस मामलें में आगे आएं और महिलाएं आगे आई भी थीं। जहां कमला नेहरू आगे आई वहीं गांव की कस्तूरी, धांपा देवी जो गांव देहात से थीं, वे भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में आगे आईं। जबसे कांग्रेस पार्टी के हाथ में यह राज आया और जैसे ही हमारा संविधान बना उसमें कानूनी तौर पर नारी को बराबर का दर्जा दिया गया। उसको वोट का अधिकार भी दिया गया जब कि अमरीका जैसे देश में इस हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए। हमको बिना लड़े ही यह अधिकार दिया गया है। हम उन महापुरुषों और कांग्रेस पार्टी के बहुत आभारी हैं कि वोट का अधिकार दे कर हमें इस मरहले पर ला कर खड़ा किया है कि यदि हम खुद में जागृत हो जाएं तो हमें अधिकार देने की भी आवश्यकता नहीं, हम बराबर के अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। पंचायती राज उसका ज्वलन्त उदाहरण है। जैसे माननीय बहन ने कहा मुझे गर्व है यह कहते हुए कि पंचायती राज बिल को पेश करने का सौभाग्य हमारे मुख्य मन्त्री जी को मिला। राजीव गांधी का जो सपना था वह पी० वी० नरसिम्हा राव के समय में साकार हुआ। इस तरीके से मुझे खुशी होती है कि जो लोग कहते थे कि इतनी महिला उम्मीदवार कैसे होंगी लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आईं जिसको आज के समाज के लोगों ने सोचा भी नहीं था। आज एक-एक महिला सरपंच जब अपने गांव की बात कहती है तो वह बड़े कान्फीडैंस से कहती हैं, लगता है कि इस एक्ट से जो जागृति हुई है, इससे जो सांझेदारी है, इससे महिलाओं के विकास में बहुत लाभ मिलने वाला है। आज जीवन के उत्थान में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य मंत्री जी ने लड़कियों की स्नातक तक की शिक्षा फ्री की है उसके लाभ आने वाले दस सालों में सामने आ जाएंगे। पहले लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते नहीं थे लेकिन अब उन्होंने उनको पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही "अपनी बेटी अपना धन" भी बहुत ही अच्छी स्कीम है। स्वास्थ्य केन्द्रों में औरतों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। इस वजह से छोटे बच्चों की मृत्यु दर में भी बहुत कमी आई है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के विकास के लिए आपने जे कदम उठाए हैं वे सभी प्रशंसनीय हैं और सराहनीय हैं। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में आज भी महिलाएं कमजोर हैं उनको और ऊपर उठाने के लिए मुख्य मंत्री जी और कदम उठाएं। आज अगर महिलाएं नौकरी करती हैं और घर में नौकर रख लिया जाता है तो पता चलता है कि कितना काम होता है और कितने पैसे काम करने वाला नौकर मांगता है। लेकिन अगर वह घर का काम करती है तो उसे अभी भी यही कहा जाता है कि सारा दिन क्या करती रही है कुछ काम काज तो तुम्हें होता नहीं है। आज महिलाएं जो काम करती हैं या जो विधवाएं हैं उनको प्रायरिटी बेस पर मकान अलाट किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, यह जो पंचायतें बनाई हैं उसमें भी महिलाएं आगे आई हैं। लेकिन वे कहती हैं कि अगर हमें कोई मीटिंग करनी हो या सतसंग करना हो तो हमारे पास बैठने की कोई जगह नहीं है। मेरी मुख्य मंत्री महोदय, से गुजारिश है कि वे इस तरफ भी ध्यान दें ताकि वे इक्ट्ठी बैठकर बात-चीत कर सकें और सतसंग वगैरह भी कर सकें। हमें गर्व है कि मुख्य मंत्री जी ने औरतों को ऊपर उठाने के लिए काफी काम किए हैं। हम चार औरतें जीत कर आई थीं और हमें इन्होंने मंत्री का पद दिया है। मेरी मुख्य मंत्री जी से एक और गुजारिश है कि इस बार

[बहिन करतार देवी]

जब इलैक्शन के लिए टिकट दिए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा औरतों को आगे लाने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं आज महिला दिवस पर अपनी सभी बहनों को बधाई देती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ।

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान के हर कोने में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और मैं भी उस खुशी में शामिल होने के लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं उस बारे में मैं कहना चाहती हूँ। आपने जब से मुख्य मंत्री का पद सम्भाला है तब से आपने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। पहले समाज में बहुत वैमनस्य था और यह समझा जाता था कि महिला तो पराया धन होती है इस लिए उसको शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर उसकी शादी कर देंगे तो वह पराए घर चली जाएगी लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था कि कम से कम स्नातक स्तर तक बच्चियों की शिक्षा मुफ्त कर दी जाए। इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी वास्तव में बधाई के पात्र है और यह महिला जगत उनका इसके लिए बहुत आभारी है। अध्यक्ष महोदय, इसके आलावा दूसरा निर्णय सरकार ने यह लिया कि पंचायतों में महिलाओं को कम से कम 30 प्रतिशत टिकटें दी जाएंगी। सर, महिलाएं जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत हैं इसलिए हमें कम से कम आधे टिकट तो मिलने ही चाहिएं। पहले भी हमारे साथ टिकटों के बटवारे में भेदभाव हुआ था। केवल पांच महिलाओं को ही टिकट दिया गया था लेकिन इन पांच महिलाओं में से भी चार महिला तो चुनाव जीत कर आ ही गयी थीं। इन चारों महिलाओं को मुख्य मंत्री जी ने मंत्री भी बनाया। चार में से छ:बीस महिलाओं को कैबिनेट स्तर का मंत्री और एक महिला को राज्य स्तर का मंत्री बनाया। जिसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इन महिलाओं को उन्होंने मंत्री बनाकर विभाग भी अच्छे ही दिए हैं। यह सारा काम करके मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा को यह बता दिया कि हमारी महिलाएं किसी से भी कर्तव्य परायणता में पीछे नहीं हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। मुख्य मंत्री जी ने चारों महिलाओं को शत प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने यह भी सोचा कि जब बेटी पैदा होती है तो घर में मातम सा छा जाता है क्योंकि लोग बेटे को ही पसन्द करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इंदिरा गांधी जो जवाहर लाल की बेटी थीं, ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नहीं की ? लेकिन सर, हमारे समाज की सोच बहुत ही संकुचित है। मुख्य मंत्री जी ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही गहराई से सोचते हुए एक ऐसा गहरा प्रोग्राम प्रदेश की जनता को दिया जोकि पूरे हिन्दुस्तान के लिए दर्शनीय और चिन्तनीय है। हर वर्ग के लोग इसको अपनाना चाहते हैं। वह स्कीम है — "अपनी बेटी अपना धन"। इसी पैसे से बच्चियां अपनी ऐजुकेशन को भी पूरा कर सकती हैं तथा अन्य कोई काम करना चाहती हैं तो वह भी पूरा कर सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, माता एक जननी है, उसको भी संतुलित आहार प्राप्त होना चाहिए। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने माताओं के लिए भी इसी स्कीम के तहत ध्यान रखा। इस पैसे से बच्चियां चाहे अपनी ऐजुकेशन को जारी रखें या अपने विवाह के समय इस पैसे को खर्च करें। विवाह के समय उनको आर्थिक अभाव न हो इसलिए उन्होंने यह स्कीम चलायी। यह स्कीम हर वर्ग चाहे वह गरीब था या किसी भी बिरादरी का था, के लिए लागू की गयी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जैसे महिला मंडल की बात आयी, थाने की बात आयी। मुख्य मंत्री जी ने एक महिला थाना खोलने के लिए सोनीपत को प्राथमिकता दी जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सर, आज आप उस थाने की रिपोर्ट ले सकते हैं कि कितनी सुन्दरता से वह थाना महिलाओं ने संभाला हुआ है। चाहे वहां पर महिलाओं के केस हों, या दहेज के केस या किसी महिला को मारने की बात हो या किसी और प्रकार का कोई केस हो, वहां पर सभी केसिज को प्राथमिकता के

आधार पर निपटाया जा रहा है, जिसके लिए वे महिलाएं बधाई की पात्र हैं। मुख्य मंत्री जी ने वैसे तो महिलाओं की तरफ काफी ध्यान दिया है लेकिन मैं दो तीन बातें और मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगी। ये बातें हमारी दोनों बहनों से कहने से छूट गई हैं। पहली मांग हमारी यह है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत न सही लेकिन पंचायतों की तरह 30 प्रतिशत नौकरियों में, शिक्षा में और टिकटों में आरक्षण भी महिलाओं को दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी हमारी इस मांग पर अवश्य विचार करेंगे। पहले हमारे बारे में यह कहा जाता था कि महिलाओं को टिकटें तो दी जाती हैं लेकिन वे जीत नहीं पातीं। अगर आप पिछले चुनावों के रिकार्ड को देखें तो आप पाएंगे कि पांच महिलाओं में से चार महिलाएं जीत कर विधान सभा में आई हैं। इसलिए अब यह बात भी अपने आप ही गलत सिद्ध हो गयी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की जैसे योजना स्थापित हुई है वह बहिन करतार देवी ने कही और शकुंतला बहिन ने भी कही। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आयोग आप हरियाणा में भी स्थापित करेंगे और यह बहुत न्यायोचित होगा। इसके अलावा जो हम महसूस करते हैं, आज भी मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी कि 'अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी'। मुख्य मंत्री जी के द्वारा काफी स्तर तक सहयोग देने के बावजूद भी कुछ परिवार अशिक्षित हैं जहां नारी की अवमानना होती है और वह उत्पीड़ित है। दहेज के लिए आप अखबारों में देखेंगे कि कितना उत्पीड़न किया जाता है। मुख्य मंत्री जी आप ही महिलाओं को संरक्षण दे सकते हैं। स्पीकर सर, महिलाओं के मामले में आदरणीय मुख्य मंत्री जी महर्षि दयानंद जी की भांति गहरी सोच रखते हैं और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं हरियाणा सरकार, मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि जो-जो समस्याएं हम तीनों ने रखी हैं, उन पर आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और विचार ही नहीं करेंगे बल्कि लागू भी करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : स्पीकर सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझ से पहले जो महिला मंत्रियों ने अपने विचार रखें है, मैं उनका समर्थन करती हूँ। यह ठीक है कि इन 40-50 सालों में बहुत तरक्की हुई है। गांव की बहनें भी पढ़ने-लिखने लगी हैं। इस सदन की जो महिला सदस्या हैं, मैं समझती हूँ कि हम सभी छोटे-छोटे गांवों से आती हैं। सारे देश में हर वर्ग में लड़कियां आगे आई हैं लेकिन अगर मैं दूसरी बात पर ध्यान दूं तो राजा राम मोहन राय और बिद्या सागर ने सामाजिक समस्याएं उठाईं और लार्ड बेंटींग ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। पहले महिलाओं को पति परमेश्वर के नाम से जलाया जाता था और अब पैसा परमेश्वर के नाम से जलाया जाता है। किसी माने में देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं आया है। पहले विधवा को जलाते थे और अब सुहागिन को जलाते हैं। लोगों को पैसे का इतना भारी लालच है कि जिसको गाजे-बाजे के साथ ब्याह कर लाते हैं उसको ही जला देते हैं। उसमें कुछ सास का रूप भी है। मैं समझती हूँ कि कुछ तो समाज के कहने-सुनने से काम खराब हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चंद्रावती जी, लड़कियां पहले बेची भी जाती थीं।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर सर, मुझे याद है कि हमारे यहां एक गांव चिड़िया है उसमें कोई भाई सगाई करने के लिए आए, उन्होंने सगाई नहीं ली। वे लड़का देखने आए थे। उन्होंने जाते समय उसकी देहल को चुचकारा। जब उन से पूछा कि चौधरी देहल किस लिए चुचकार रहे हो तो उन्होंने कहा कि भाई इस देहल की बाण है कभी छोरों का पैसा लेने की तो कभी छोरियों का पैसा लेने की। हमारे देश में मैटिरियलिज्म आये लेकिन इस तरह से नहीं आना चाहिए कि हम अपने बेटे-बेटियों का सौदा करें। कहीं तो हमको रोकना ही पड़ेगा। कहीं तो हमें रेखा खींचनी ही पड़ेगी कि उससे आगे हम नहीं जायेंगे।

[श्रीमती चन्द्रावती]

ठीक है कानून बनाया है लेकिन जब तक समाज इन चीजों के खिलाफ नहीं होता तब तक जो दुल्हे-दुल्हन की खरीद-फरोख्त है वह कानून से नहीं बल्कि समाज से बन्द हो सकती है। अब टी०वी० और कुछ गलत पोस्टर वगैरह लगाने से लड़के-लड़कियों पर इसका भी असर पड़ा है और लड़कियों को छेड़ा जाता है। परन्तु गांवों में पहले यह बात नहीं थी। आज वहां पर भी इन बातों का असर होने लगा है। मेरा निवेदन है कि स्कूलों में हर लड़की के लिए जुडो का विषय कम्पलसरी हो जिससे कि वे अपनी रक्षा कर सकें। बचपन से ही लड़कियों को किताबें वगैरह इस प्रकार की दी जायें जिससे कि लड़के-लड़की में किसी प्रकार का भेद न हो। कई परिवारों में इस प्रकार का भेद नहीं होता है। हमारे परिवार में भी भेदभाव नहीं था। लेकिन मैं चाहती हूं कि हर परिवार में ऐसी बात होनी चाहिए कि लड़के लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। हरियाणा सरकार ने जो "अपनी बेटी अपना धन" की स्कीम चलाई है, वह अच्छी स्कीम है। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर हरिजनों के लिए ही यह स्कीम है। मैं चाहूंगी कि सभी गरीब आदमियों के लिए इस स्कीम का लाभ हो।

चौधरी भजन लाल : बहन जी, यह स्कीम सिर्फ हरिजनों कि लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है।

श्रीमती चन्द्रावती : ठीक है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जिन महिलाओं का कोई सहारा नहीं है, जो जवान उम्र में विधवा हो गई हैं, ऐसी लड़कियां जिनके मां-बाप मर गये हैं जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं है, ऐसी लड़कियां जो अंधी हैं, लंगड़ी-लूली हैं, जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं है, उनको कुछ सहारा जरूर देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती संतोष चौहान सारवान) : स्पीकर सर, आज पूरा विश्व अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है।

श्रीमती जानकी देवी मान : स्पीकर सर, इस विषय पर मैं भी अपनी बात कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : जानकी देवी जी आप इन के बाद बोल लेना।

श्रीमती संतोष चौहान सारवान : इस सदन में कुछ सुझाव कुछ महिला मंत्रियों के द्वारा रखे गये हैं, मैं उन्हीं सुझावों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। कोई भी राष्ट्र तब तक समूचा विकास नहीं कर सकता जब तक उसमें महिलाओं को विकास का पूरा मौका नहीं दिया जाता। वैसे आजादी के बाद महिलाओं के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं और उनको विकास का पूरा मौका दिया गया। लेकिन हरियाणा प्रांत अपने आप में अग्रणी प्रांत रहा है और उसने देश के नक्शे पर एक नया आयाम स्थापित किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए नये रिकार्ड बनाये हैं। मैं इस पर दो-तीन बातें कहना चाहूंगी कि किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए उसकी शैक्षणिक जिम्मेदारी सरकार पूरी तरह से निभाये और उनको आर्थिक रूप से विकास का पूरा मौका दे। उनको राजनीतिक तौर पर पूरा सहयोग और पूरी हिस्सेदारी मिले तभी किसी वर्ग का समूचा विकास हो सकता है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत से मौके दिये हैं और स्नातक तक की शिक्षा फ्री करके पूरे देश में एक संदेश दिया है। इस तरह से महिलाओं को शिक्षित करके उनको आगे बढ़ाने के लिए एक रिकार्ड की बात आपने की है। जो स्कीम "अपनी बेटी अपना धन" आपने चलाई है उसको सारे देश में एक सराहनीय काम माना गया है। मैं उसके अनुसरण के बारे में कहूंगी कि जब दो मीटिंग्ज हमने प्रधानमंत्री जी के साथ अटैण्ड कीं तो उनमें हमने "अपनी बेटी अपना धन" स्कीम का पैम्फलैट प्रधानमंत्री जी को दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पैम्फलैट की कापी सब प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को सर्कुलेट की। इस बात की सराहना की गई कि ऐसे समय में जब बेटी को पैदा

होने से पहले भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, तब उस स्कीम को चलाया। सारे देश में मुख्य मंत्री चौधरी भजनलाल जी ही हैं जिन्होंने हरियाणा में पैदा होने वाली प्रत्येक बेटी को अपनी बेटी माना और उसके पढ़ने-लिखने का, उसको भविष्य में आगे सैटल होने के लिए पूरा ध्यान रखते हुए पैसे की व्यवस्था की। यह अपने आप में एक अलग किस्म का रिकार्ड है। जो बेटी अठारह साल की होगी उसको पच्चीस हजार रूपये, जो बीस साल की होगी उसे तीस हजार रुपये, जो बाईस साल की होगी उसे पैंतीस हजार रुपये मिलेंगे, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। अब बेटी के पैदा होने से लेकर पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। इसके साथ मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वीमैन होस्टल सभी जिलों के मुख्यालयों पर होना चाहिए और बड़े-बड़े शहरों में भी होना चाहिए। अब कई जगह नहीं हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़कियों को नौकरी और शिक्षा के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, उनको वहां ठहरने में दिक्कत आती है। कहीं पर उनकी सुरक्षा की भी बात होती है और अलग रहने के लिए दिक्कतें आती हैं। इसके लिए आप एक वर्किंग वीमैन होस्टल की व्यवस्था करें। आपने जितना अब तक किया है, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती जानकी भान, कृप्या महिला दिवस पर कुछ बोलिए।

श्रीमती जानकी देवी मान (इन्द्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि हमारे प्रांत में महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार हो रहें हैं, बलात्कार होते हैं जैसे कि द्रोपदी कांड, रेणुका कांड तथा सुशीला कांड, चारों तरफ कांड ही कांड हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मैं जब सन् 1991 में एम०एल०ए० बनी थी तब मैंने इनको कहा था कि मेरे इन्द्री हल्के में एक लड़कियों का कॉलिज बनाएं। इनका टर्म खत्म होने वाला है, परन्तु वह कालिज अभी तक नहीं बना। (विघ्न) मैं सच कह रही हूँ।

श्री अध्यक्ष : ऐसे है कि लड़कियों के कॉलिज तो आप भी बना सकती हैं। मैं अपने हल्के में लड़कियों के 3 कॉलिज चला रहा हूँ और इन कॉलिजों की बसें चल रहीं हैं जो कि देहात से लड़कियों को लाती हैं और उनके घर छोड़ आती हैं। आप भी खुद आर्गेनाइज़ कर लो। सरकार की तरफ क्यों देख रही हो ?

श्रीमती जानकी देवी मान : अध्यक्ष महोदय, आपने भी तो सरकार से बनवाए होंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, हमने खुद बनवाए हैं।

श्रीमती जानकी देवी मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अपने हल्के इन्द्री की कुछ कठिनाईयां बताना चाहती हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप महिला दिवस पर ही बोलें। अगर आपने दूसरे विषय पर बोलना है तो अभी एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है, आपको टाईम दिया जाएगा। उस पर आप बोल लीजिएगा। इसमें सिर्फ महिला दिवस के ऊपर ही बोलना है, क्योंकि इसी पर बात हो रही है और कुछ नहीं बोलना है। आपको पूरा टाईम दिया जाएगा। अब तो आप सिर्फ महिला दिवस के बारे में ही बोल सकती हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में और विश्व में आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। नारी का उत्थान, नारी का मान और सम्मान हमारे वेद और शास्त्रों में भी कहा है कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। हमने नारी को एक देवी का स्वरूप दिया। (थम्पिंग) नारी का मान व सम्मान करना इंसानियत का पहला कर्त्तव्य और धर्म होना चाहिए। जिस देश में,

[चौधरी भजन लाल]

जिस प्रदेश में और जिस घर में नारी की इज्जत नहीं है वह घर बिगड़ जाएगा, प्रदेश धरातल में चला जाएगा देश धरातल में चला जाएगा। इसलिए नारी का सम्मान हमारे वेदों में किया जाता है, उसका सम्मान होना चाहिए। इसी बात को लेकर हरियाणा प्रदेश में नारी के सम्मान के लिए इतनी योजनाएं शुरू की हैं। अगर मैं उन सारी योजनाओं की चर्चा करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। अभी हमारी महिला विधायिका साथी ने नारी उत्थान के बारे में सुझाव दिये। उनके सुझाव बहुत ही अच्छे और सुंदर हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में पिछले 6 महीने से हम लगे हुए हैं कि किस तरह से और क्या क्या काम महिलाओं के लिए करने चाहिएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लड़कियों की बी०ए० तक की शिक्षा तथा टैक्नीकल शिक्षा फ्री कर रखी है। हमने 'अपनी बेटी अपना धन' यह सारे देश में पहली स्कीम शुरू की है। फिर पंचायत के चुनावों में भी इनको एक तिहाई अधिकार दिया है। आप जानते हैं कि हमने आई०आर०डी०पी० में भी 40 परसैंट महिलाओं को दिया है। जवाहर रोजगार योजना में भी 30 परसैंट किया है। सरकार ने चण्डीगढ़ में हरियाणा पुलिस में एक नया महिला सैल तथा सोनीपत में एक महिला थाना भी कायम किया है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हमने की हैं। हमने अनेकों स्कीमें इनके कल्याण के लिए बनाई हैं लेकिन इतना करने के बावजूद भी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं अपनी उन माननीय सदस्याओं का आभारी हूँ जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बताया कि और क्या कुछ किया जा सकता है। उन्होंने बड़े बेहतरीन और अच्छे सुझाव दिए। जैसे अभी शकुन्तला जी ने, करतार देवी जी ने, शान्ति राठी जी ने, सन्तोष सारवान जी ने तथा बहिन चन्द्रावती जी ने सुझाव दिए। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार में एक लड़की को आठवी कक्षा तक एक सौ रुपए सालाना पुस्तक भत्ता दिया जाए। हम ऐसा करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में मिडल, मैट्रिक और दस जमा दो के परीक्षा परिणामों की मैरिट के आधार पर 50, 75 और 100 रुपए की दर से दो सौ छात्राओं को छात्रवृति दी जाएगी, ऐसा हमने फैसला किया है। इसके अलावा बोर्ड की आठवीं और दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों के लिए पूर्व कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो और उनके परीक्षा परिणामों में सुधार किया जा सके। हमने यह भी फैसला लिया है कि लड़कियों को शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए, आत्म निर्णय और आत्म विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें स्कूलों और कालेजों में कराटे और योगा की भी शिक्षा दी जाएगी। किशोर बालिकाओं और विशेषकर ऐसी किशोर बालिकाओं की तरफ ध्यान दिया जाएगा जो अपनी शिक्षा बीच में छोड़ जाती हैं। उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें शादी एवं घर-बार की जिम्मेदारी उठाने के योग्य बना सकें और रोजगार के लिए भी तैयार कर सकें। इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों के लिए आवास सुविधाओं का चरण-बद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। हम महिलाओं का आत्म सम्मान बढ़ाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। सहकारी समितियों की प्राथमिक शिक्षा जहां कहीं भी सम्भव होगी, पति और पत्नी को संयुक्त रूप से दी जाएगी। उचित मूल्यों की दुकानों के आबंटन में भी ऐसे व्यक्तियों को पहल दी जाएगी जो पत्नी के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करते हैं। महिलाओं के लिए कृषि, पशु-पालन एवं इनसे संबंधित क्षेत्रों जैसे कि खुम्बी उत्पादन, रेशम के कीड़े पालना, फूलों की खेती, मधु मक्खी पालन व मछली पालन में विशेष तकनीकी ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। औद्योगिक सम्पदाओं में प्लाटों की कुछ विशेष परसैंटेज महिला उद्यमियों को पहल के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। आर्थिक इकाइयों के लिए महिलाओं को ऋण दिलाने के लिए जिलों में एक ऐसा बैंक स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें केवल महिलाओं का स्टाफ ही नियुक्त हो। "कानूनी सहायता और कष्टों का निवारण" इसके तहत महिलाओं को किसी दुर्भाग्यपूर्ण अहिंसा, विवाह

संबंधी बिवाद के लिए विशेष कानूनी सहायता देने के लिए ठोस कदम उठाएंगे जो इस प्रकार हैं :— मंडल स्तर पर परिवार न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जिनमें अधिकांश महिलाएं न्यायाधीश होंगी। प्रत्येक मंडल स्तर पर एक ऐसा पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। "विधवाओं के कल्याण के लिए कदम" इसके तहत हुड्डा और आवास बोर्ड विधवाओं के लिए प्लाट और मकान आरक्षित करेगा। "आर्थिक गति" विधवाओं के लिए निगमों द्वारा दी जाने वाली सबसिडी में बढ़ोतरी की जाएगी। महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। सरकार के प्रयासों के साथ साथ स्वैच्छिक संस्थाओं को भी महिलाओं के कल्याण के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं संबंधी विशेष स्कीमें चलाने के लिए विशेषकर महिलाओं को संगठित करने और ट्रेड चलाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिलाओं के बैठने के लिए भी हम चाहेंगे कि हर ब्लाक में अगर सारे गाँवों में नहीं हो सके तो हर साल दो या तीन गाँवों में महिलाओं के बैठने के लिए स्थान बना कर देंगे ताकि वहाँ पर महिलाएं बैठ कर गाँव की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर सकें और समय समय पर जब वे जरुरत समझें सरकार के नोटिस में वह सारी बातें ला सकें।

श्री अध्यक्ष : टोटल गाँव तो सात हजार के करीब हैं इसलिए आप हर साल कितने गाँव इस स्कीम के तहत कवर कर लेंगे ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम हर ब्लाक के दो तीन गाँवों में उनके बैठने के लिए हर साल स्थान बना कर देंगे और हो सकता है हम हर साल एक ब्लाक के पाँच गाँव भी कवर कर लें। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे देश की महिलाओं को शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सारा समाज नारी जाति का सम्मान करे। भगवान की कृपा से सभी महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल हो ऐसी मैं कामना करता हूँ।

चौधरी शेर सिंह (सढ़ौरा, एस०सी०) स्पीकर साहब, जब से चौधरी भजन लाल जी की सरकार बनी है तब से इन्होंने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की सुख सुविधाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया है। सारे देश के प्रदेशों में एक हरियाणा प्रदेश ही ऐसा है जिसके सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगें मानी गई हैं। मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज सभी बहनों ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के उत्थान की बात कही है। स्पीकर साहब, हरियाणा में आज प्लस टू के लगभग 6 हजार लैक्चरार हैं जिनका वेतनमान 2000-3500 है और इस वेतनमान के सभी महकमों में क्लास टू अधिकारी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उन 6 हजार लैक्चरार में तीन हजार महिलाओं का मान सम्मान आज ही मुख्य मंत्री जी बढ़ा सकते हैं अगर ये उनको क्लास टू अधिकारी बना दें। आज ही महिला दिवस के मौके पर यह घोषणा कर दें कि प्लस टू के जितने भी लैक्चरार हैं उनको क्लास टू अधिकारी बना दिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, शेर सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं इस बात को स्वीकार करते हुए यह कहता हूँ कि दस जमा दो के जितने भी लैक्चरार 2000-3500 के स्केल में पे लेते हैं उनको क्लास टू अधिकारी बना देंगे।

राज्यपाल से सन्देश

(i) मोशन आफ थैंक्स की कापी भेजने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a message from the Governor which reads as under—

"Hon'ble Speaker,

Thank you very much for your communication dated 29th February, 1996 sending therewith a copy of the 'Motion of Thanks' on my address passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th February, 1996."

(ii) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही रखने के लिए पुनर्विचार करने संबंधी

Hon'ble Members, now I also read the following message received from the Governor regarding the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill 1992 :—

"I, Mahabir Parshad, Governor of Haryana, do hereby return the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill , 1992, in pursuance of the decision taken by the Council of Ministers in its meeting held on 28th December, 1995, and the representation of the All India Jat Maha Sabha to the President of India and various representations received by me to retain the name of the Haryana Agricultural University as Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University. The Bill is hereby returned keeping in view the sentiments of the public, for the re-consideration of the State Legislative under the proviso to Article 200 to retain the name of the Haryana Agricultural University as Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University."

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' , indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of theRule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the table of the House.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to lay on the table—

The 14th Annual Report and Balance Sheet of Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Limited for the year 1989-90 as required under Section 619 (A) (3) of the Companies Act, 1956.

The 15th Annual Report and Balance Sheet of Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Limited for the year 1990-91 as required under Section 619 (A) (3) of the Companies Act, 1956.

The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 1992-93 as required under section 19A(3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 27th Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Limited for the year 1993-94 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1994 as required under Section 37 (7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(i) पब्लिक अकाउटस कमेटी की 42वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Hari Singh Nalwa, Chairman, Public Accounts Committee will present the forty second Report of the Committee on Public Accounts for the year 1995-96 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1991, 31st March, 1992 and 31st March, 1993 (Civil and Revenue Receipts).

Shri Hari Singh Nalwa (Chairman, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present—

The forty second Report of the Committee on Public Accounts for the year 1995-96 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1991, 31st March, 1992 and 31st March 1993 (Civil and Revenue Receipts).

(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ कमेटी की 40वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Mani Ram Keharwala, Chairman, Committee on Public Undertakings will present the fortieth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1995-96 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1991-92 (Commercial).

Shri Mani Ram Keharwala (Chairman, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present—

The fortieth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1995-96 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1991-92 (Commercial).

(iii) सबोर्डिनेट लैजिसलेशन कमेटी की 27वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Smt. Chandravati, Chairman, Comittee on Subordinate Legislation will present the Twenty-Seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year, 1995-96.

श्रीमती चन्द्रावती (चेयरमैन, अधीनस्थ विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 27वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करती हूँ।

बिल —

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce, the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1996.

Sir, I also beg to move that—

The Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : अध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रिएशन बिल जो सदन के सामने आया है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस पर बोलते हुए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए काफी राहत दी हुई है। इस बारे में जो एक दिक्कत आ रही है, मैं उस पर बोलते हुए कहना चाहती हूँ। जब सर्विस के दौरान किसी कर्मधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को कई-कई सालों तक यहां तक कि 5 से लेकर 8 साल तक नौकरी नहीं मिल पाती। इस कारण उस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। वे परेशान हो जाते हैं और तब तक उनकी माली हालत बहुत खराब हो जाती है। स्पीकर सर, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई टाईम लिमिट फिक्स की जानी चाहिए। अगर उस महकमें में कोई जगह खाली नहीं मिलती तो किसी दूसरे महकमें में, दूसरे में नहीं तो किसी तीसरे महकमें में नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसी महकमें में नौकरी दी जाए जिस महकमें में स्वर्गवासी काम करता था। एक तो उनके घर का कमाने वाला मर गया और दूसरे महकमे वाले उनको परेशान करते रहते हैं कि कल आना या परसों आना। इस प्रकार बड़ी भारी समस्या उनके लिए हो जाती है। मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि मृतक के परिवार के आदमी को 3 महीने या 6 महीने में नौकरी जरूर मिल जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक और बात कहने से रह गई थी कि रोहतक में जो पटाखों की फैक्टरी में आग लग गई थी, उस आग में 30 से ज्यादा आदमी मर गए थे जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उस फैक्टरी के मालिक ने उस फैक्टरी को बाहर से बन्द किया हुआ था क्योंकि वे अन्दर पटाखों का कोई एक्सपैरिमैंट कर रहे थे। आवाज बाहर न जाए इसलिए उसको बन्द किया हुआ था। लेकिन जब आग लगी तो लोगों ने दीवार पर चढ़ कर दरवाजा खोला। इस फैक्टरी के मालिक को अभी तक शायद सरकार ने कोई सज़ा नहीं दी है। उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए और 30 आदमियों के कत्ल की सजा उसे दी जानी चाहिए। जो बाहर के लोग थे वे वापिस चले गए हैं। उनकी तलाश करके उनकी भी मदद की जानी चाहिए। स्पीकर सर, इसी प्रकार से डबवाली का भयंकर अग्निकाण्ड हुआ और सरकार ने दिल खोल कर लोगों की मदद की। सारे देश में इस दुर्घटना के लिए अफसोस हुआ। स्कूलों में आज जो ताम-झाम की प्रथा चल पड़ी है यानी बड़े पैमाने पर समारोह मनाए जाते हैं। उस समारोह में आयोजन करने वाले भी मर गए, बच्चे भी मर गए और देखने वाले भी मारे गए। हमारे यहां पर रहा हुआ एक एस०डी०एम० था। वह और उसकी पत्नी भी उस दुर्घटना में मारे गए। उनके बच्चे रह गए हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फैक्टरी में जो आग लगी थी, वहां के लोगों को भी फैक्टरी मालिकों से मुआविज़ा दिलवाया जाना चाहिए। स्पीकर सर, मैं बिजली के बारे में भी कई बार कह चुकी हूँ कि आज बिजली हवा और पानी की तरह जरूरी हो गई है। एक सवाल के जवाब में विद्युत मन्त्री जी ने बताया था कि हमारे पास जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए कि इतनी देर में बिजली मिल जाएगी। चाहे वे कोई सर्कुलर जारी करें या अखबार में दें कि इतने दिनों में बिजली मिल जाएगी ताकि जो लोग बिजली की मोटर के लिए कर्ज लेते हैं वे न लें। जब

[श्रीमती चन्द्रावती]

तक बिजली का प्रबन्ध न हो वे डीजल इंजन का या कोई दूसरा इन्तजाम कर सकें। इसी प्रकार से कई जगहों पर मुलाजिमों का कुछ लेना-देना भी हो जाता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि इनको बताना चाहिए कि बिजली इतने दिनों में मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं यह चाहती हूँ कि जो थर्मल प्लांट्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोशिश की जानी चाहिए। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो पावर ऐफिशियैंसी बढ़ा कर पैदा हो सकती है, उसकी भी कोशिश की जानी चाहिए। कहीं पर तार ढीले पड़े हैं या तार टूटे हुए हैं, उनको ठीक करने के इन्तजाम होने चाहिएं। अभी हाल ही में रात के दो बजे सीसवाल गाँव में बिजली के कारण एक घर में आग लग गई जिसमें तीन भैंसे जल गईं और एक गाय जल गई। उस बेचारे की झोपड़ी भी जल गई। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उनसे सरकार को भी नुक्सान होता है और लोगों के घर-बार जल जाने की वजह से उनका नुक्सान 12-00 बजे भी हो जाता है। अधिकतर दुर्घटनाएं तार ढीली होने के कारण होती हैं। क्योंकि उस से स्पार्किंग होती है और आग लग जाती है। मेरे घर के पास 2-3 बार स्पार्किंग हुई, मैंने उसको ठीक करवाया वरना वहां पर भी आग लग सकती थी। अब की बार जो बाढ़ आई उस वजह से भी काफी नुक्सान हुआ है। उस से बिजली के खम्भे गिर गए और बिजली की तारें नीचे लटक गईं और खराब हो गई हैं। ये सारी चीजें हैं जिस से नुक्सान हो गया है। कई जगह तो तारें इतनी नीचे हैं जिस वजह से पशुओं को भी मरना पड़ा है। यह सब क्यों है, यह इस लिए है, क्योंकि आज इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही है और इसको कड़े कदम उठा कर दूर करने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए होस्टल होने भी जरूरी हैं। अगर होस्टल नहीं होते तो हम कहां पर पढ़ते क्योंकि हमारे टाईम में तो गांवों में भी स्कूल नहीं होते थे। अध्यक्ष महोदय, जिस मात्रा में सरकार ने शिक्षा का प्रचार किया है, उस हिसाब से स्कूलों और होस्टलों का भी प्रावधान करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैनशन मोशन दी थी और आपने वह रिजैक्ट कर दी है। उसमें मैंने खुलिया गिंडी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे हॉकी भी कहते हैं भगवान कृष्ण ने भी हाकी को अपनाया था। हमारी वहां पर जब पहले भाभी घर में आती थी तो वह ननद के लिए गुड़िया लाती थी और वहां पर कांगना खेलते थे लेकिन आजकल वह नहीं होता है क्योंकि वे सोचते हैं कि कहीं हार न जाएं। अध्यक्ष महोदय, अब राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो कम से कम अपने प्रान्त में ही हाकी का नाम खुलिया गिंडी रख दिया जाए तथा स्कूलों में यह खेल जरूरी कर दिया जाए। स्पीकर साहब, मैं बंगाल गई थी वहां पर सुन्दरी पेड़ देख कर आई थी। उसकी लकड़ी 30 साल तक भी खराब नहीं होती। उसी तरह से हमारे यहां पर भी कंगेड़ा पेड़ होता था वह छोटा और घनी छाया का होता था और उसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती थी। इसी तरह से केंटू नाम का पेड़ भी होता था वह भी बहुत मजबूत होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि हर स्कूल में हाकी का खेल कम्पलसरी होना चाहिए। हर स्कूल के साथ मैदान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय दादरी के पहलवान मशहूर होते थे। पशु भी मशहूर होते थे, भिवानी के कई लड़के अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अव्वल आए हैं। इन खेलों को बढ़ावा देना चाहिए और जो उनके बचपन के अखाड़े हैं उनको रिकोगनाईज्ड करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि चार पहलवान किसी कम्पीटशन में भेज दें बल्कि सही तरह से खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे हम फौज में जाने को प्राथमिकता देते हैं तो उसी तरह से हमको खेलों को भी महत्व देना चाहिए। इसलिए सर, मैं तो कहती हूँ कि आज जो फौजियों का नौकरी में रिजर्वेशन रखा हुआ है वह कम है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह हमें बी०एस०एफ० वालों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना एक्स सर्विस मैन को हम देते हैं। बी०एस०एफ के भी हमारे कई लड़के या आफिसर्ज कश्मीर में शहीद हुए हैं इसलिए उनके परिवारों को भी हमें उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम एक्स सर्विसमैन को देते हैं।

इनका कोटा भी सर्विस में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। सर, मैंने पहले सड़कों के बारे में भी कहा था और अब मैं जंगली जानवरों के बारे में कहना चाहती हूँ । मेरे हल्के में एक गांव के लोगों ने एक बनी छोड़ रखी है जिसमें हिरन एवं खरगोश तथा अन्य छोटे-छोटे जानवर हैं। इससे पर्यावरण को बनाये रखने में बहुत सहायता मिलती है। हालांकि हिरन और खरगोश खेतों में नुक्सान पहुँचाते हैं लेकिन फिर भी जमींदार इस बात की परवाह नहीं करते हैं और उन्होंने इन जानवरों को बनी में रखा हुआ है। इसी तरह से और लोगों को भी करना चाहिए ताकि हमारे जो जंगल आज खत्म हो रहे हैं वे न हों। आज उनको ब्रीडिंग की जगह नहीं मिलती जो पहले हमारे यहां पर छोटी-छोटी जगह या पहाड़ियां थीं वे खत्म हो गई हैं। पहले भिवानी में, गुड़गांव में, महेन्द्रगढ़ में और नारनौल में छोटी-छोटी पहाड़ियां थीं जिनमें थोड़े बहुत पानी के बन्दे लगाए जा सकते थे। थोड़े से ये बन्दे लगाए भी थे लेकिन वे बाढ़ की वजह से टूट गए इसलिए इनको दोबारा से लगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए ऐसे पेड़ों को भी लगाया जाना चाहिए। आज कागजों में तो पेड़ लगे हुए दिखा दिए जाते हैं लेकिन असल में पेड़ नहीं लगाए जाते। न ही इस बात को कोई देखता है कि ये लगे भी हैं या नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जंगल तो खत्म ही हो जाएंगे। पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हरियाणा में जितनी भी नदियां या छोटे छोटे नाले हैं उनके दोनों किनारों पर एक एक किलोमीटर तक हम अगर पेड़ लगवा दें तो इससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा और हमें इमारती लकड़ी भी मिलेगी तथा बाढ़ भी कम आएगी। मैं पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में गयी थी। वहां पर हमने ब्यास नदी को देखा तो पाया कि इस नदी की तलहटी में लोगों ने घर बनाए हुए हैं। मैंने तो इस बारे में वहां के मुख्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी कि अगर लोग वहां इस तरह से घर बनाएंगे तो फिर नदी कहां रह जाएगी ? सर, अगर हम पूरे देश में नहीं तो कम से कम अपने प्रान्त में तो यह बातें अपना ही सकते हैं। स्पीकर साहब, मैं केवल इतनी बातें ही आपके द्वारा सरकार के ध्यान में लाना चाहती थी।

साथी लहरी सिंह (राजौर, एस०सी०) : मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सर, फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने जो ऐप्रोप्रिएशन बिल पेस किया है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। सर, जितना बढ़िया बजट इन्होंने इस बार पेश किया है वास्तव में सारे हिन्दुस्तान में इससे बढ़िया बजट शायद ही कभी आया हो। क्योंकि इन्होंने न तो इस बजट में कोई कर लगाया है और न कुछ इसमें और ऐसी बात है। इसमें गरीब आदमी को कुछ न कुछ राहत दी है। स्पीकर सर, ऐजुकेशन पर मैं डिमांड रखना चाहता हूँ। जितनी हमारे स्कूल्ज में बच्चों की संख्या है उसके हिसाब से बिल्डिंगे कम हैं लेकिन इस मद में इस बार भी पैसा कम रखा गया है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि हम बच्चों की रेशो के हिसाब से टीचर्ज और बिल्डिंग दे सकें। मेरे हल्के में 100 बच्चों के ऊपर एक टीचर है और 53 स्कूल ऐसे हैं जो बगैर टीचर के चल रहे हैं, उनमें कोई जे०बी०टी० टीचर नहीं है। इस ओर ध्यान दें और जो बिल्डिंग बरसात में गिर गई हैं या किसी और वजह से डैमेज हो गई हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन बिल्डिंगों को प्रायोरिटी पर बनाया जाए। मेरे हल्के में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, सबके नाम गिनाऊंगा तो टाईम लगेगा। मेरा निवेदन है कि बच्चों को अगर अच्छी तरह से पढ़ने का मौका मिलेगा तो वह अपना हुनर भी दिखाएंगे, शोहरत भी दिखाएंगे और हरियाणा का नाम भी रोशन करेंगे। इसी तरह से स्पीकर सर, पब्लिक हैल्थ में भी काफी काम हुआ है। जैसे शिक्षा विभाग ने नकल रोकने का अभियान चलाया था और उसमें काफी सफलता मिली है। इसी प्रकार पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट पांच हजार की आबादी के जो गांव हैं उनमें जो पब्लिक हैल्थ की स्कीम्ज हैं उनको जरूर लागू कर दे। मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जैसे कौलापुर, संघौल। कौलापुर में तो कहीं 5-6 किलोमीटर दूर से लाईन आ रही है 6 हजार की आबादी का गांव है। मैं चाहूँगा कि पब्लिक हैल्थ स्कीम का अलग से सिस्टम बनाएं। इसके अलावा पीने के पानी की स्कीम भी मैं चाहता

[साथी लहरी सिंह]

हूँ ताकि गरीब आदमी को स्वच्छ पानी मिल सके। (विघ्न) हैल्थ मंत्री महोदया यहाँ बैठी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो पी०एच०सी० पंचायत की बिल्डिंगज में खुली हुई हैं उनके लिए अलग से बिल्डिंग बनाएं। उनमें जो डॉक्टर्ज की कमी है उसके बारे में तो क्वेशचन ऑवर में जवाब देते समय भी बहिन जी ने माना था कि डॉक्टरों की कमी है। तो वहां डॉक्टरों की कमी पूरी कर दी जाए और जो काबिल डॉक्टर हैं उनको इंसैंटिव दें। जो डॉक्टर अच्छी तरह से सेवा करना चाहते हैं और जिन्होंने लोगों की अच्छी तरह से सेवा की है वाकई उनको पारितोषिक मिलना चाहिए। कई पी०एच०सी० तो ऐसी हैं जहां डॉक्टर खुद ही मरीज हैं। ऐसे डॉक्टरों का भी ध्यान रखना चाहिए जो औरों की सेहत खराब न करें। मेरे हल्के में टाटका, गुढ़ा और अलाढ़ में पी०एच०सी० की बिल्डिंग नहीं है। सब-हैल्थ सैन्टर्ज के लिए बजट में प्रावधान रखा है। सब हैल्थ सैन्टर ऐसे होने चाहिएं जिनमें जच्चा-बच्चा का ईलाज और उनकी केयर हो सके। इसके अलावा और सब-हैल्थ सैन्टर लखमनी, लारा इत्यादि गांवों में खोलने की जरूरत है। इसी तरह से सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट की स्कीम्ज भी काफी अच्छी बताई हैं लेकिन पैसा उसके ऊपर फिर थोड़ा रखा गया है। बड़ी मात्रा में इसके लिए पैसा रखा जाये ताकि गरीब आदमी को इसका लाभ पहुँच सके। गरीब आदमी के बच्चों का पालन-पोषण, पढाई-लिखाई, रहन-सहन और उसका आर्थिक ढांचा सुधारने में मदद मिल सके। इसलिए इसके लिए आपको सफिशियेंट अमाऊंट रखना चाहिए। इसमें अमाऊंट कम रखा है। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर महोदय से नम्र निवेदन है कि इसके लिए ज्यादा पैसा रखा जाये ताकि गरीब आदमी का भला हो गरीब आदमी आपको दुआ देगा, आपकी हाजरी परमात्मा के दरबार में अच्छी तरह से लगेगी और आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। इसी तरह से फूड सप्लाई के बारे में मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। अभी पिछले दो महीनों से मिट्टी के तेल की बड़ी भारी किल्लत चल रही है जो कभी पहले पैदा नहीं हुई। जब विभाग से पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि मिट्टी का तेल फल्ड वाले इलाके में भेज दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सैंटर से ज्यादा मात्रा में तेल लिया जाना चाहिए। रादौर के इलाके में मिट्टी के तेल की काफी दिक्कत है। मेरा फूड मिनिस्टर महोदय से नम्र निवेदन है कि वे इस मामले में थोड़ी सी उदार नीति बनायें ताकि लोगों को राहत मिल सके। आजकल तेल और राशन की चीनी की काफी दिक्कत आ रही है। दूसरा मेरा इरीगेशन डिपार्टमैंट के बारे में निवेदन है कि हमारे मंत्री जी बड़े सियाने मंत्री हैं। स्पीकर सर, उन्होंने दादूपुर-नलवी और दादूपुर-लाडवा नहर का जिक्र किया था। आपके हल्के का, कुरुक्षेत्र का कुछ इलाका, कैथल का कुछ इलाका तथा यमुनानगर और अंबाला का कुछ इलाका उसके साथ लगता है। ये नहरें उनके लिए एक लाइफ लाईन हैं। स्पीकर सर, इस काम के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमारा हथनी कुंड बैराज का काम शुरू होगा। अगर साथ ही साथ नहर का काम भी शुरू हो जाये तो उसमें क्या होगा कि जो रोज बिजली का चक्कर पड़ता है वह बिजली हम नहीं मांगते। हमें तो दादूपुर-नलवी और दादूपुर-लाडवा नहर दे दो। इससे वाटर लैवल और ऊपर आ जायेगा और हमारे इलाके में बिजली फालतू हो जायेगी। वह बिजली आप चाहें तो और कहीं दे दें। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले में आप जल्दी से जल्दी फैसला करें कि जो यह बैराज का काम शुरू हो रहा है उसके साथ ही नहर का काम भी शुरू हो जाये। इसी तरह से जो घमौरा ब्रिज मंजूर कर दिया है, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया तो स्पीकर सर, वहां तीन जिले मिलते हैं। ऐसा होने से उनकी समस्या भी दूर हो जायेगी। इसी तरह से यमुना नदी है। हमारे यहां उस से हर साल 20-30 गांव बाढ़ की लपेट में आ जाते हैं। तो वहां पर कुछ ठोकरें ही लगनी हैं, ज्यादा खर्चे का काम नहीं है। संधाला में, जठलाना में, गुमथला में और लाल छप्पर में कुछ ठोकरें लगनी हैं। यह मेरा नम्र निवेदन है कि वहां सरफेस लगा कर ये ठोकरें जल्दी से जल्दी लगाई जायें। कई जगह हमारी फसल खराब हो जाती है। उसका एक कारण यह है कि पिछले गांव से जो नाला

आता है उसको अगले गांव में रोक दिया जाता है। वह नाला कहीं एक किल्ला, कहीं दो किल्ले और कहीं दस किल्लों में इस तरह से रुक जाता है कि उसका पानी खड़ा होकर के पिछली सारी फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसी नालियां मेरे हल्के में झगूड़ी से बहड़ी, झाफसपुर, खुर्दन से कलरी जगीर, धनोरा, बेरथली से बेरथला तथा लखमंडी में हैं, . . . (विघ्न) स्पीकर सर, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय को मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि कृषि मंत्रालय ने काफी अच्छे काम शुरू किए हैं। जैसे खुम्बी के मामले में है। अब अढ़ाई तीन करोड़ रुपये लगा कर के एक रिसर्च इंस्टीच्यूट शुरू किया है। अभी जैसा कि छतर सिंह जी ने कहा, इनकी तो नीयत माड़ी है तथा जैसी जिसकी नियत होती है वैसी ही बरकत होती है। लेकिन जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बार गन्ने की खेती इतनी बढ़िया हुई है। लेकिन लोग यू०पी० से 40 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना खरीदकर 70 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहां बेच रहे हैं। इस पर कंट्रोल किया जाए तथा यहां के किसानों को नुकसान से बचाया जाए। इस तरह से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हमारे मिलों के जो रेट्स कम हैं, वह यू०पी० से गन्ना आने की वजह से हैं। उन पर रोक लगवाई जानी चाहिए और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिएं। इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, जो बागबानी का काम शुरू किया है यह वास्तव में भारतवर्ष में एक नई दिशा है। हरियाणा प्रदेश में फलों की खेती हो रही है, फूलों की खेती हो रही है। जो राई में मंडी बन रही है यह एक ऐसी दिशा है जो सारे देश को एक नई दिशा देगी। इससे किसान का आर्थिक ढांचा सुधरेगा, मजदूरों का सुधार होगा। लाखों लोगों को काम मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग ने जिस तरह से बढ़िया काम बाढ़ के दौरान किया है वह बहुत अच्छा है। मेरा नम्र निवेदन है कि आप पशुपालन विभाग को कहें कि वह थोड़ी सी डिस्पैंसरियां और खोल दे। कुछ गाँवों ने तो बिल्डिंग भी बना रखी हैं। वी०एल०डी०एज० तथा डाक्टर के रहने के लिए भी मकान बना रखे हैं। इस संबंध में मंत्री जी को पहले भी लिखकर भेजा गया था कि खुर्दन, फतेहगढ़ तथा गुमथला गांवों में हास्पीटल बनना चाहिए। ऐसे कई गांव मेरे हल्के में हैं। इस तरह से हम कोई कोशिश करें और पशुपालन की लोगों को सहूलियत दें। जिस तरह से ब्रीड के बारे में, अच्छी गायों के बारे में और भैंसों के बारे में प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से यह सहूलियत भी बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed

The motion was carried.

(ii) गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Education Minister will introduce Guru Jambeshwar University, Hissar (Amendment) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir I beg to introduce Guru Jambeshwar University, Hissar (Amendment) Bill, 1996.

Sir, I also beg to move that—

Guru Jambeshwar University, Hissar (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved that—

Guru Jambeshwar University, Hissar (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

डॉ० राम प्रकाश (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ महीने पहले गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव इस सदन में आया था। हमने उस वक्त इस बात की चिन्ता व्यक्त की थी कि इस विश्वविद्यालय को खोल कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दीवालिया बनाने का कुप्रयास किया जा रहा है। मुझे ख्याल नहीं था आशंका नहीं थी कि जो बात मैं कह रहा था वह इतनी जल्दी लागू हो जाएगी। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) आज जो यह प्रस्ताव लाया गया है इससे ज्यादा बड़ी चोट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर और कुछ नहीं की जा सकती। हमने पिछली बार जब गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का टैरिटोरियल जुरिसडिक्शन तय किया था तब यह कहा था-

> "Any new college of Engineering Technology or Management to be opened in any part of the State of Haryana shall with effect from the date of the enforcement of this Act, shall have to get affiliated to this University."

इस सदन में मुख्य मन्त्री ने और शिक्षा मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि जो नए इंजिनियरिंग कालेज खुलेंगे उन्हें जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा और पुराने कालेजों को पहली यूनिवर्सिटी से डिस-एफीलिएट करके गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। यह इस सदन के अन्दर हम सब के सामने आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज उसके उल्ट हो रहा है। जितने भी इंजिनियरिंग कालेज हैं, कामर्स के कालेज हैं और एक नया विषय जोड़ दिया गया कि जितने भी फार्मेसी के भी कालेज हैं, उन सब का उनकी यूनिवर्सिटीज से संबंध विच्छेद करके गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दिया गया है। इससे बड़ा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का क्या दुर्भाग्य होगा। सड़क की दूसरी तरफ रीजनल इंजिनियररिंग कालेज कुरुक्षेत्र है लेकिन वहां के छात्रों को यूनिवर्सिटी संबंधी अपने किसी काम के लिए जैसे इम्तिहान के लिए या कोर्सिज का पता करने के लिए वहां से नहीं बल्कि हिसार जा कर पता करना पड़ेगा। पिछली बार यह बात कही गई थी कि जो इंजिनियरिंग कालेज हैं या कामर्स के कालेज हैं ये जिन विश्वविद्यालयों से पहले जुड़े हुए हैं उनका संबंध उनसे नहीं तोड़ा जाएगा लेकिन आज यह उस संबंध को तोड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार यह कहा गया था कि हम इसे स्पैशेलाइजेशन की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, जनरल ऐजूकेशन की नहीं बनाना चाहते। इसीलिए उस समय यह कहा गया था कि इससे नये रोजगार धंधे उपलब्ध होंगे जिन से बच्चों को मदद मिलेगी। इस तरह की पढ़ाई से इस यूनिवर्सिटी का औचित्य दर्शाया गया था लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी के अध्ययन के दायरे में जनरल शिक्षा को भी जोड़ा जा रहा है। अगर इसमें सामान्य शिक्षा के विषय को भी रखना है तो इसमें और दूसरी यूनिवर्सिटीज में कोई फर्क नहीं रहेगा तथा इस यूनिवर्सिटी को बनाने का कोई औचित्य नहीं था। कमाल की बात तो यह है कि आज इसमें भी वही विषय पढ़ाए जाएंगे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ कुछ जिले जुड़े हुए थे लेकिन उनको भी तोड़ दिया गया। अब भिवानी, हिसार, सिरसा और जीन्द जिलों को इसे सौंप दिया गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का दायरा घटा कर उसके कालेज इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े जा रहे हैं। पहले यह कहा गया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या दयानन्द यूनिवर्सिटी की जो टैरीटोरियल जुरिसडिकशन है उस का किसी सब्जैक्ट का भी कालेज इससे नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की कल स्थापना हुई है, जिसकी अभी लैबोरेटरी बननी है, लाइब्रेरी बननी है उसके साथ न केवल मात्र टैरिटोरियल जुरिसडिकशन के हिसाब से चार जिले जोड़े गए हैं बल्कि कई सबजैक्टस भी उसके साथ जुड़े रहेंगे। अगर सरकार का यही दृष्टिकोण है तो मैं इनको सुझाव दूँगा कि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनियर्सिटी को बंद कर दो। क्या जरुरत है उनकी अगर हर बार अमैंडमैंट के जरिए उनके दायरे में से किसी विषय या कालेज को निकाल कर दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा तंग नजरिया, इससे ज्यादा कमजोर सोच और इससे ज्यादा घटिया

[डॉ० राम प्रकाश]

विचार कोई और हो ही नहीं सकते जो इस बिल के माध्यम से दर्शाए गए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थी कितने दिन स्ट्राइक पर रहे। आज कुरुक्षेत्र के रीजनल इंजीनियरिंग कालेज को उस यूनिवर्सिटी से निकाल कर गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जब चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार के साथ चौधरी चरण सिंह का नाम हटाने की बात आई थी और उनका नाम उस यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया था तो हमने विरोध किया था। लेकिन आज जब गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में बिल ले कर आए हैं तो इनको वहां यह भी मानना पड़ा है कि जन-भावनाओं की कद्र करते हुए चौधरी चरण सिंह का नाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार के साथ जोड़ने की बात ठीक है। यह इसके लिए बाध्य हुए हैं। जिस समय चौधरी चरण सिंह का नाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार से हटाया गया था उस समय यह दलील दी गई थी कि चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम बाहर के लोगों को पता नहीं लगता कि यह कौन सी यूनिवर्सिटी है। उस समय यह बात थी तो आज बाहर के लोगों को उस यूनिवर्सिटी का कैसे पता लग जाएगा। आज रीजनल इंजीनियरिंग कालेज कुरुक्षेत्र को गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के साथ जोड़ा जा रहा है, इसका बाहर के लोगों को कैसे पता लग जाएगा । यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यह सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है। इस अमैंडमैंट के द्वारा यह सरकार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए मैं इस अमैंडमैंट का विरोध करते हुए इसको प्रशासनिक तौर पर गलत मानता हूं। (शोर)

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : उस वक्त तो आपने इस बिल के हक में वोट दिया था।

डॉ राम प्रकाश : मांगे राम जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त मैंने इस बात का विरोध किया था लेकिन डिफैक्शन ला की वजह से अपना वोट खिलाफ नहीं डाल सकता था। उस समय मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आज मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस अमैंडमैंट के जरिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम इसको किसी भी हालत में सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने पिछली बार भी विरोध किया था। उस समय यह कहा गया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोई कालेज नहीं तोड़ा जाएगा और उसका कोई भी विषय बन्द नहीं किया जाएगा। यह सरकार कम से कम एक साल तो अपनी कही हुई बात पर ठहरती। एक सैशन में कोई बात कहती है तो अगले सैशन में उस बात से बदल जाती है। मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान (भुंढाल खुर्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का बिरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डॉक्टर राम प्रकाश ने बताया कि पिछले साल जब यह बिल आया उस समय भी सभी मैम्बर्ज ने उसके बारे में अपनी आशंकाएं जाहिर की थीं। आज यह अमैंडमैंट ला कर हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री महोदय हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, महाराजा गुरु जम्भेश्वर की तो सभी लोग कद्र करते हैं। इन्होंने उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई यह तो इनकी इमोश्नल भावना थी, सैंटीमैंटल भावना थी वरना उसकी जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी को प्राइमरी एजुकेशन ठीक ढंग से नहीं मिलेगी, हाई स्कूल की शिक्षा ठीक नहीं मिलेगी और कालेज की शिक्षा ठीक नहीं मिलेगी तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ठीक मिले। जब हमारे प्रदेश में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि हम सरकार से कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक लगा दो तो कह दिया जाता है कि सरकार के पास फाईनैंशियल रिसोर्सिज बहुत कम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सरकार की सारी सम्पत्ति को अपनी बपौती समझ रखा है। अपनी मनोभावनाओं की रिलिजियस सैंटीमैंटस की पूर्ति के लिए इन्होंने एक और नई यूनिवर्सिटी बनाई। पिछली बार भी हमने इस यूनिवर्सिटी के बनाये जाने का विरोध किया था कि इस की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ पहले हैं और उनके साथ जो कालेजिज जुड़े हुए हैं उन्हीं से संबंधित रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों इनके मंत्री और विधायक डरते हैं कि वे गलत बात का भी विरोध नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, पिछला रिकार्ड इस बात का साक्षी है कि जो बात हमने पहले कही थी कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एम०डी०यू० के पर कतर रहे हैं, वह अब इस अमैंडमैंट के आ जाने से सच्च हो रही है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से आग्रह करूंगा कि ये अपने कुछ सैंटीमैंटस की पूर्ति के लिए हरियाणा के साथ खिलवाड़ न करे। जो सरकार प्राइमरी एजूकेशन और सैकेण्डरी एजूकेशन का प्रबंध न कर सके उससे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2 मार्च,1996 को एस०एस० एस० बोर्ड ने कुछ विषयों के स्कूल लैकचरार्ज की लिस्ट पब्लिश की। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि 2 मार्च को तो लिस्ट पब्लिश होती है और 22 फरवरी को यानि लिस्ट पब्लिश होने से पहले ही उनको अप्वांयटमैंट आ जाये। (विघ्न) ऐसा ही हुआ है। आप भले ही इस बात की जांच करवा लें। (विघ्न)

सिंचाई मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, ये अमैंडमैंट से संबंधित बातें करें। इस बिल में यह अमैंडमैंट ला रहे हैं कि वहां पर प्रो-वाईस चांसलर होना चाहिए। इनको एतराज है तो उस पर बोलें कि वहां पर प्रो-वाईस चांसलर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे खर्चा बढ़ेगा। ये इस पर बोलने की बजाये सिलैक्शन पर बोलने लग गए कि यह हुआ है वह हुआ है, जिसका इस अमैंडमैंट से कोई संबंध नहीं है।

डॉ राम प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं कि प्रो-वाईस चांसलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि यह अमैंडमैंट है और हम इस पर बोलें। उपाध्यक्ष महोदय, इस अमैंडमैंट के माध्यम से प्रो-वाईस चांसलर के अतिरिक्त नये सब्जैक्ट खोलने और इस यूनिवर्सिटी की जुरिसडिक्शन की भी बात है। पुरानी यूनिवर्सिटीज के साथ जो कालेजिज जुड़े हुए हैं उनके तोड़ने की भी बात है। जिस ढंग से नेहरा साहब कह रहे हैं उस ढंग से इस बात का सरलीकरण नहीं किया जा सकता।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने सारे हरियाणा के प्रशासन को बिगाड़ दिया है और सारा हरियाणा आज भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा हुआ है। इन्होंने एजूकेशन तक को ठीक नहीं रखा। मुझे एक बात याद आ गई। उपाध्यक्ष महोदय, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उस वक्त चर्चिल ने सारे बजट में कटौती कर दी लेकिन एजूकेशन के बजट में कटौती नहीं की। उस वक्त चर्चिल ने पूछने वालों को जवाब दिया कि मैं एजूकेशन का बजट काट कर बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता क्योंकि ये ही आगे चलकर देश के कर्णधार होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अब अपने अंतिम चरण पर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह कम से कम एजूकेशन के साथ तो खिलवाड़ न करें। जिस प्रकार एस०एस०एस० बोर्ड से ट्रिब्यून में लिस्ट पब्लिश होती है 2 मार्च को लेकिन उस लिस्ट में से डायरैक्टर, सैकेण्डरी एजूकेशन ने 22 फरवरी,1996 को ही अप्वांयटमैंट दे दी। इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अन्धी और बहरी सरकार के खिलाफ लोगों को मजबूर हो कर न्यायालय के दरवाज़े खटखटाने पड़े हैं। आज ये लोग जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन दुःख की बात

[प्रो० छतर सिंह चौहान]

है कि अगली बार ये जनता की बात सुनने के लिए यहां पर नहीं बैठे होंगे। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, फैसला कर लिया है कि इस सरकार को बदल देंगे (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यूनिवर्सिटी के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सरकार ने जो सबसे पहले बात की है, चाहे वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो या एम०डी० यूनिवर्सिटी हो, उसकी जुरिसडिक्शन को घटाना अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि ये अपने धर्माचार्य की स्मृति के लिए आज़ाद हैं। इनकी जितनी श्रद्धा है उसके मुताबिक अपने घर में उसकी पूजा करें, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन यह सरकार सारे हरियाणा का जम्भेश्वरलाईजेशन क्यों कर रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एम०डी० यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कालेजिज़ को डिसऐफिलियेट करके जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से ऐफिलियेट करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कुरुक्षेत्र में रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज है, वह जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से ऐफिलियेट होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतिहास की बात है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में रहे लेकिन रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज का ऐफिलियेशन हिसार से किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता आपको इसके लिए माफ नहीं करेगी। दो महीने बाद इनको पता लगेगा कि आने वाली सरकार इनकी की हुई गलतियों की करैक्शन करेगी क्योंकि ऐसा करना ही पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने प्रो-वाईस चांसलर की कही है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रो-वाईस चांसलर की नियुक्ति का प्रोविज़न इन्होंने रखा है। हमारे डा० राम प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं, ये भी प्रो-वाईस चांसलर रह चुके हैं। प्रो-वाईस चांसलर सरकार द्वारा राजनैतिक आधार पर अपने व्यक्ति को नियुक्ति देने के अलावा कुछ नहीं होता। वह यूनिवर्सिटी पर एक फाईनैंशियल बर्डन भी होता है और एक अड़चन भी होता है क्योंकि वाईस चांसलर और प्रो-वाईस चांसलर की आपस में कभी बनती नहीं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जाते समय ऐसे कांटे बो कर न जाए जो कि आने वाली सरकार को साफ करने पड़ें (विघ्न) हरियाणा की जनता के साथ यह खिलवाड़ कर रहे हैं इसलिए इस बिल के बारे पुनर्विचार करें। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना किसी खास मकसद से की गई है। डिप्टी स्पीकर सर, मुख्य मन्त्री जी को तो पता ही नहीं कि एजूकेशन क्या होती है। इन्होंने तो जम्भेश्वर जी का नाम सुन लिया और उनके नाम पर युनिवर्सिटी का नाम रख दिया तो फिर उसी के नाम कालेजों का नाम भी रखें सरकार का एक ही एक्शन है कि हरियाणा में जम्भेश्वर युनिवर्सिटी ही रहे। कोई बात नहीं, आने वाली सरकार इसको अपने आप ठीक कर लेगी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस यूनिवर्सिटी के बिल का विरोध करता हूं और इस सरकार को आगाह करता हूं कि इसी प्रकार की गलती इस सरकार ने पिछले साल की थी। सरकार इस बात पर कटिबद्ध थी कि चौधरी चरण सिंह का नाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाए लेकिन इनकी पार नहीं बसी और आज सरकार को नाक रगड़ना पड़ रहा है। आज ये चौधरी चरण सिंह के नाम को दोबारा लेकर आए हैं। ये इस प्रकार की गलती न दोहराएं और एजूकेशन के साथ खिलवाड़ न करें।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस बिल को वापिस ले लें। कुरुक्षेत्र का इन्जीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ लगता है। आपने देखा है, हमने भी देखा और मुख्य मन्त्री जी ने भी देखा होगा, उसको उठा कर हिसार के साथ रखने की बात शोभा नहीं देती। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कोई भी चीज करटेल करना मैं समझता हूँ कि इस एरिया के साथ ज्यादती करना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बातें ये कर रहे हैं ये गलत हैं। एक तरफ तो ये खर्चे पर खर्चा बढ़ा रहे

हैं और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमें खर्चा कम करना चाहिए। जब ये इस यूनिवर्सिटी को बना रहे थे तो मैंने तभी इसका विरोध कर दिया था।मैं आपको कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल की रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ :—

"The Report of the Comptroller & Auditor General of India for 1994-95 highlights instances of defective budgeting, improper planning and lack of coordination and defective execution of work. It brings to focus inter-alia deficiencies in system and procedure excessive payments, avoidable liability of interest and wasteful and avoidable expenditure....."

तो यह अवाइडेबल एक्सपैंडिचर है जोकि इस पर खर्चा किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी की कोई जरूरत नहीं है। आप इस बिल को वापिस ले लें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी जो यह यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं यह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पहले हमारे बच्चे दूसरी स्टेटों में जाकर डोनेशंज देकर एडमिशन लेते थे लेकिन अब यह यूनिवर्सिटी खुलने से उनको कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा। मैं चौधरी साहब से पूछता हूँ कि वे कह रहे थे कि इस पर पैसा व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। चौधरी साहब पैसा किस लिए होता है, पैसा इसलिए होता है ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें और उनको अच्छी शिक्षा दिला सकें। यह यूनिवर्सिटी खुलने से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी यहां जो बात कह रहे हैं कि यह यूनिवर्सिटी नहीं खुलनी चाहिए, अगर ये यही बात पब्लिक में जाकर कह दें तो हम इनको मान जाएंगे कि ये ठीक बात कह रहे हैं।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें क्या पता कि मैं रोज ही पब्लिक मीटिंग्ज में यह बात कहता हूँ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : उपाध्यक्ष महोदय, असल में ये शिक्षा को बढ़ावा ही नहीं देना चाहते हैं। ये बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सिरसा, भिवानी और शाहबाद के सभी बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। मैं तो यह कहूँगा कि आप इस बिल को पास करें। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि जितने ज्यादा स्कूल और कालेजों को अपग्रेड करके इस यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा, उतना ही अच्छा होगा। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना अच्छा बिल लाई।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई आपत्तियों का उत्तर दूं, मैं सदन के नेता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हरियाणा शिक्षा जगत साईड के जो लैक्चरर्ज थे, वे अब तक गजेटेड नहीं थे लेकिन सदन के नेता ने उनकी यह मांग मानकर शिक्षा जगत पर एक बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मैं सदन के माध्यम से उनको बधाई देता हूं और सारे शिक्षा जगत की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार अमैंडमैन्ट बिल विचाराधीन है। डा० राम प्रकाश जी, प्रो० छतर सिंह जी एवं चौधरी बंसी लाल जी ने इस बिल पर कुछ आपत्तियां उठायी हैं। इन्होंने पहली आपत्ति तो यह उठाई कि रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इस अमैंडमैन्ट बिल के माध्यम से क्यों निकाला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो बिल पास किया गया था, अगर माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ने की चेष्टा की होती तो इनको पता लगता कि यह बिल क्यों आया था या यह यूनिवर्सिटी क्यों बनायी गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके एक्ट के परिएम्बल में लिखा है-

[Shri Phool Chand Mullana]

"to establish and incorporate a University to facilitate and promote studies in emerging areas of higher education, including new frontiers of technology, environmental studies, non-conventional energy sources and management studies, and also to achieve excellence in these and connected field."

Now, I am reading sub-clause 3 of Section 4 of this Act.

Dr. Ram Parkash : Ch. Sahib, you read clause 2 of this section.

Shri Phool Chand Mullana : Dr. Sahab, I am reading sub-clase 3. (Interruptions). Dr. Sahab, you had your time, let me have my time. उपाध्यक्ष महोदय, जो ओरिजिनल एक्ट बनाया था, जिसके माध्यम से यह यूनिवर्सिटी बनी है, उसकी सैक्शन चार की सब क्लॉज 3 को आप देखें उसमें लिखा है-

"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any existing college of Engineering, Technology or Management situated in the State of Haryana shall, with effect from the date of enforcement of this Act, be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the University and shall cease to be associated in any way with, or be admitted to, any privileges of any other University."

So, Mr. Deputy Speaker, Sir, this sub clause is very clear that not only in any particular district but in the State of Haryana. Whether it may be in Kurukshetra district, let it be in Bhiwani district or any other district in the State of Haryana. So my contention is, Deputy Speaker Sir, that this University was formulated with a specific purpose and that purpose was to formulate a Technical University in the State of Haryana. So any college, Technical College or Technical courses, it may be in Kurukshetra or it may be in district Sirsa, was to be affiliated with this University.

This was the basic structure of this Bill (Interruptions).

डा० राम प्रकाश : तो फिर क्या यह क्लॉज नं0 2 हरियाणा की जनता के साथ धोखा था या नहीं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि अगर क्लॉज नं0 3 क्लॉज नं 2 को नैगेट करने के लिए रखी गई थी तो क्या यह हरियाणा की जनता के साथ धोखा या गद्दारी थी या नहीं ?

Mr. Deputy Speaker : Dr. Sahab, he is clarifying the position.

श्री फूलचन्द मुलाना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी बता रहा था कि यह यूनिवर्सिटी टैक्नीकल यूनीवर्सिटी के आधार पर बनाई गई थी इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी इंजिनियरिंग कालेज चाहे वह कहीं पर भी हो, इस यूनिवर्सिटी से अटैच होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कॉलेजिज तो फरीदाबाद में भी हैं, सिरसा में भी हैं तो ये भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से तो अटैच होंगे ही। कुरुक्षेत्र इंजिनियरिंग कॉलेज का जो ढांचा यहां है, उसका जैसा इंतजाम है, वह वैसा ही चलेगा। लेकिन केवल ऐफीलिएशन की बात है कि किसके साथ हो। हमने क्योंकि यह टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए यह उसके साथ होगा और यह पुराने एक्ट में है। आज हम उसे अमैंड नहीं कर रहे हैं। आज तो अमैंड केवल लोगों की मांग पर कर रहे हैं जैसे हमारा जिला भिवानी है, हमारा जिला सिरसा है, हमारा जिला हिसार है, हमारा जिला जींद है। जो इससे जुड़ते हुए लोग हैं उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हिसार

में यूनिवर्सिटी बन गई है, इसलिए उसके सात जनरल कोर्सिज भी जोड़ दिये जाएं। इसके ऐग्जिस्टिंग सैक्शन में हम वह प्रोवाइजो डाल रहे हैं। इन्होंने क्या सवाल उठा दिया कि कॉलेज उठ कर चला जाएगा। The College will not go anywhere. It will remain at Kurukshetra.

Chaudhri Birender Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir, my point of order is that the Minister is blowing hot and cold in the same breath. On the one hand he is emphasising that this University was formed to make it a technical University or to have affiliation of technical colleges, then it is alright and I can concede on this point that Kurukshetra Engineering College be transferred to that University. But on the other hand he is saying that with the demand of the 3-4 districts, we are affiliating other colleges of general nature, where the general education is imparted. So, it is entirely wrong, sir, either this University should be set up with the purpose that it would impart higher technical education or he should say that keeping in view the demand from 3-4 adjoining districts he is to affiliate another Colleges of general nature in the vicinity of the University, then there is no justification to transfer Kurukshetra Engineering College to that University.

Shri Phool Chand Mullana : Hon'ble Member has raised a particular important issue. Perhaps it is within his knowledge that regional centre at Hisar was started for all these 4 districts. That regional centre has been converted into this University. The people of those districts have demanded this then what is the harm if general education is also attached to this University while no other University is going to suffer. That is why on the general and genuine demand of those 4 districts, it has been done.

डा० राम प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र भी लोगों की मांग पर वहां से बदला गया है। वहां तो स्ट्राइक हुई है इस बात के लिए कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज को यहां से बदल कर वहां न ले जाया जाए। एक तरफ लोगों के नाम के ऊपर यह कहा जा रहा है कि हमने 4 जिले बदल कर वहां कर दिए हैं, दूसरी तरफ आप इस बात के गवाह हैं कि हर रोज अखबारों मे छपा है कि कुरुक्षेत्र में स्ट्राइक रही। क्या वहां के लोग, लोग नहीं हैं, क्या उनकी भावनाओं की कद्र करना इनका फर्ज नहीं बनता? अगर यही बात है कि क्लॉज-2 में कुछ लिख दें, क्लॉज-3 में कुछ लिख दें और सदन में वायदा कुछ करें और अगली बार उसे बदल दें। अगर इस तरह लैजिस्लेटिव असैम्बली चलेगी तो किसी आदमी का लैजिस्लेटिव बिजनैस और काम करने की पद्धति पर बिश्वास नहीं रहेगा। लोग तब गलियों में निकलते हैं जब उनका बिश्वास हिल जाता है। तब न्यायपालिका को अपना शिकंजा कसना पड़ता है जब इस तरह की धोखाधड़ी करके एक क्लॉज को दूसरी से नैगेट करने वाली क्लाज डालकर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तब न्यायपालिका को अपना शिकंजा ऐसे लोगों पर कसना पड़ता है। इसी वजह से आज तमाम मुल्क में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछली बार यह कहा गया था कि यह टैक्नीकल विषयों के लिए हम कर रहे हैं, आज इसमें जनरल ऐजूकेशन डाली जा रही है, क्यों डाली गई है? इसे आप साईंस एण्ड टैक्नोलोजी की यूनिवर्सिटी बनाएं। अगर वही दस जमा दो की पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और पढ़ाई लिखाई की बात पता न हो तो किसी और से उस सोच को ग्रहण कर लेना चाहिए। यह मैं जानना चाहूंगा कि क्या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र के बारे लोगों की कोई मांग आई थी जिसके आधार पर उसको वहां से तोड़ा गया है और इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है। हिसार के लोगों की भावनाएं हैं तो क्या कुरुक्षेत्र के लोगों की भावनाएं नहीं हैं। क्या उनके मुताबिक सरकार को काम नहीं करना चाहिए?

श्री उपाध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आप इस बिल पर पहले ही बोल चुके हैं इसलिए आप बैठ जाइए।

13.00 बजे **प्रो० छतर सिंह चौहान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वांयट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं।.....(विघ्न)

डा० राम प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, विद्यार्थी कचहरी में गए हैं। इससे बड़ा लोगों के असंतोष का और क्या सबूत होगा कि लोग इस बात से सहमत नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : छतर सिंह जी, आप प्वांयट ऑफ आर्डर पर बोलिए।

प्रो० छतर सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि हिसार, जींद, सिरसा और भिवानी जिलों के लोगों ने मांग की थी इसलिए वहां के कॉलेजों का एफीलियेशन इस यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भिवानी जिले की किसी भी स्टुडैंटस यूनियन ने आज तक कभी ऐसी मांग नहीं की कि भिवानी के सभी कॉलेजों का एफीलियेशन इस यूनिवर्सिटी के साथ कर दिया जाये। हम भिवानी के सभी रिप्रेजैंटेटिव यहां बैठे हुए हैं। मंत्री जी कम से कम गलत बात लोगों पर लादने का कुप्रयास न करें। यह ठीक है कि मंत्री जी, चीफ मिनिस्टर महोदय को खफा नहीं कर सकते। यह उनकी मजबूरी है। मंत्री जी को यह पता नहीं कि ये एक दो महीने के मेहमान हैं। इनकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कृपया मंत्री महोदय यह बतायें कि जिन-जिन जिलों का वे नाम लेते हैं उनमें से इनके पास किस का रिप्रेजैंटेशन आया है, कोई चिट्ठी आई हो या प्रस्ताव आया हो। यह ठीक है कि पिछली बार मन्त्री महोदय की मजबूरी थी, उनको डर था कि कहीं उनका मंत्री पद न चला जाये। यह पद अब नहीं तो दो महीने बाद जाना तो है ही। वे कम से कम गलत बात तो न कहें। किसके आधार पर आप यह मैनावर (Manoeuvre) करना चाहते हैं। टोटल मैजोरिटी के आधार पर करना चाहते हैं ? किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। (विघ्न) मैं आप से निवेदन करना चाहूँगा कि मंत्री महोदय यह बतायें कि किस-किस का रिप्रेजैंटेशन आया है और कब आया?

श्री उपाध्यक्ष : बस ठीक है।

श्री फूलचंद मुलाना : उपाध्यक्ष महोदय, छतर सिंह जी, अखबार पढ़ते हैं या नहीं। मुझे याद है मेरे साथ ये एक कमेटी में गए थे। तब तो स्टेशन पर उतर कर बहुत अखबार पढ़ते थे।(विघ्न) उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया तब बहुत से लोगों ने खड़े होकर मांग की थी कि उन जिलों के कालेजों को इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाये। मैं भी भिवानी जाता रहता हूं। भिवानी जिले के कालेज आज तक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के साथ जड़े हुए थे। भिवानी जिले के लोगों ने मांग की कि इन कालेजों को भी हिसार की जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाये क्योंकि यह नजदीक पड़ती है।(विघ्न) मैं भिवानी जिले के कई कॉलेजों में भी गया हूं वहां पर भी लोग मुझ से मिले हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सिर्फ इतना बता दें कि इनको कोई रिप्रेजैंटेशन मिला या नहीं। क्या मंत्री जी को यह हुकम दिया गया या नहीं दिया गया कि इस तरह से कर दो। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी इस चीज में बड़े कमाल के आदमी हैं कि जब इनका अपना बेटा 25 साल का नहीं हुआ था तो ये बातें करते थे कि मैं राजनीति में परिवारवाद को कभी पसंद नहीं करता, कभी अपने बेटों को राजनीति में नहीं लाऊंगा। चौधरी बंसी लाल जी और चौधरी देवी लाल जी

अपने बेटों को राजनीति में लेकर आये हैं। लेकिन जब इनका अपना बेटा 25 साल का हो गया और बेचारे पुरुषभान को ऊपर परमात्मा के घर जाना पड़ गया तो इन्होंने कहा कि कालका के लोगों ने मांग की है कि आपका साहबजादा ही कालका हल्के से चुनाव लड़े। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी तो कहीं इस तरह की मांग नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं ऐसी मांग नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि डा० राम प्रकाश जी ने क्वैशचन रेज किया था कि यह यूनिवर्सिटी टैक्नीकल है या नहीं, मंत्री जी इस चीज का स्पष्टीकरण दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री फूलचंद मुलाना : उपाध्यक्ष महोदय, नई-नई बातें उठायी जा रही हैं। जैसा कि आदरणीय बंसी लाल जी ने कहा है कि यह यूनिवर्सिटी टैक्नीकल है या नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि यह यूनिवर्सिटी टैक्नीकल है और इसीलिए सारे प्रांत के इंजीनियरिंग कालेज और टैक्नीकल कालेज इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े जा रहे हैं। (विघ्न)

डा० राम प्रकाश : अगर यह टैक्नीकल एजूकेशन की यूनिवर्सिटी है तो यह जनरल एजूकेशन की नई एडीशन क्यों की गई है।

Shri Phool Chand Mullana : But there is no binding and that is why they have been added and this has been done on the demand of the public. उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की शंका दूर कर रहा हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, छत्तर सिंह जी ने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी यह कह दिया कि मुख्य मंत्री जी के कहने से ऐसा किया जा रहा है। मैंने पहले भी एक सवाल के उत्तर में कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं है। यह लोगों की सुविधा के लिए है, स्टूडैंटस की सुविधाओं के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, यह यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में एक टॉप की यूनिवर्सिटी होगी। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इसमें कौन-कौन से कोर्सिज हम चला रहे हैं। वे हैं कम्यूनिकेशन मैनेजमैंट एंड टैक्नॉलोजी, पर्यावरण विज्ञान, एप्लाईड मैथेमैटिक्स, इंडस्ट्रियल कैमिस्ट्रि, बिजनैस इक्नोमिक्स, लॉ, पर्यावरण साईंस, इंजीनियरिंग, कम्पयूटर, साईंस एवं इंजीनियरिंग, फारमेसीयूटिकल साईंसिज़। अब जो नए कोर्सिज़ इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं वे हैं इनफर्मेशन साईंस टैक्नॉलोजी, कम्पयूटर साईंस एप्लीकेशन्ज। प्रिंटिंग टैक्नॉलोजी, इंडस्ट्रियल साइकोलोजी तथा डिप्लोमा इन फूड प्रोसैसिंग एंड टैक्नॉलोजी। इसके अलावा एम०एस०सी० आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस, एम०एस०सी०, इनफरमेशन साईंसिज एंड टैक्नॉलोजी, मास्टर ऑफ फाईनैंस एंड कंट्रोल, मास्टर ऑफ मार्किटिंग टैक्नॉलोजी, एम०एस०सी० इन लाईब्रेरी टैक्नॉलोजी, एम०एस०सी० एप्लाईड फिजिक्स, हिन्दी डिप्लोमा तथा भाषा विभाग में एम० ए० हिन्दी इत्यादि। लोगों की मांग पर हम यह कर रहे हैं (विघ्न)। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि हरियाणा में प्राइमरी शिक्षा, सैकंडरी शिक्षा और उच्च शिक्षा ठीक नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा आपके प्रांत में राष्ट्रीय स्तर से कहीं ऊंची है। हर क्षेत्र में ऊंची है। आपको यह जानकर अति खुशी होगी कि बिना कानून के नकल रोकने में मुख्य मंत्री जी का नाम सारे देश में लिया जा रहा है (थम्पिंग) और सारे देश में नकल रहित आपका प्रदेश है। आपकी शिक्षा भी बहुत ऊंचे स्तर की रही है इसलिए यह यूनिवर्सिटी भी एक मील पत्थर साबित होगी। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी बन रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो ही प्रोविजन करने हैं। एक यह जनरल कोर्सिज़ का और एक प्रो-वाईस चांसलर का। आपको पता है कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के हमने इस यूनिवर्सिटी में एक टैक्नीकल आदमी लगाया है जिसको टैक्नीकल नॉलेज है और जिसने यूनिवर्सिटी चलानी है। यह यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी और ऊंचे स्तर की यूनिवर्सिटी होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस अमैंडमैंट बिल को पास करें।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Guru Jambheshwar University Hisar Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

वाक आउट

आवाजें : डिप्टी स्पीकर साहब, हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य तथा सर्वश्री बीरेन्द्र सिंह और राम प्रकाश, असम्बद्ध सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 12

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clauses 2 to12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr.Deputy Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा परिवैन्शन ऑफ डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr.Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Prevention of Defacement of Property (Amendment) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Haryana Prevention of Defacement of Property (Amendment) Bill,1996.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Prevention of Defacement of Property (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Prevention of Defacement of Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो परिवैन्सन ऑफ डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी बिल है यह बहुत अच्छा है। लोग माइल स्टोन्ज पर तथा अन्य जगहों पर पोस्टर लगा देते थे। मैं यह समझती हूं कि इसमें अगर कोई अवहेलना करता है तो उसे 6 महीने से भी ज्यादा सजा होनी चाहिए। जो हमारे एतिहासिक मोनूमैंटस हैं या एतिहासिक ईमारतें हैं उनको लोग खराब कर देते हैं। उन पर कभी नाम लिख देते हैं या इश्तिहार लगा देते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए यह एक अच्छा बिल लाया गया है। मैं चाहती हूं कि इसका प्रचार भी करवाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा कानून पास हुआ है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इश्तिहार वगैरह लगाने के लिए जगह निर्धारित कर दे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : इसमें यही बात है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Prevention of Defacement of Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Deputy Speaker : Question is-

The Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Local Self Government Minister will move that the Bill be passed.

Local Self Government Minister (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा जनरल सेल्ज़ टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Deputy Speaker : Now the Excise & Taxation Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Excise & Taxation Minister (Shri Lachman Dass Arora) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill,1996

Sir, I also move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 17

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Excise & Taxation Minister will move that the Bill be passed.

Excise & Taxation Minister (Shri Lachman Dass Arora) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि पंजाब विलेज कामन लैंड्ज (रेगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1996

Mr. Deputy Speaker : Now the Hon'ble Chief Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill,1996 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill,1996.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Chief Minister to move that the Bill be passed.

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Deputy Speaker : Now the Revenue Minister will introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि -

पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved -

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हाउस के सामने लाया गया है यह बिल्कुल ठीक और सही है। यह बात ठीक है कि फाईनैंशियल कमिश्नर्ज़ के पास काम बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण टाईम काफी लग जाता है। मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार से कहना चाहती हूँ कि पार्टीशन, नम्बरदारी और म्यूटेशन आदि में बहुत ज्यादा टाईम लगता है। 70 फीसदी ऐसे केसों में नायब तहसीलदार और तहसीलदार तथा स्टाफ पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इनके लिए 3 महीने या 6 महीने की टाईम लिमिट फिक्स की जानी चाहिए। आमतौर पर गांवों में पार्टीशन होती है। दो भाई अलग हो गए या मुश्तर्का मालिकान जमीन बेचते हैं तो उसकी पार्टीशन करवानी पड़ती है। इस में किसानों को बड़ी मारी दिक्कत है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी करना चाहिए कि इसकी पावर्ज़ कमिश्नर को भी न दें डी०सी०तक ही हो। एडीशनल डी०सीज़० जो लगाएं उनको भी रिवीज़न का अधिकार दें। दूसरी बात यह है कि नायब तहसीलदार और उनके स्टाफ के लोग घपलेबाजी करते हैं। म्यूटेशन और नम्बरदारी वगैरह में घपलेबाजी होती है, उसको रोकने के लिए इसकी टाईम लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि यह इतने टाईम में हो जाए। यह प्रावधान होना चाहिए कि इसको छः महीने में कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई वकील खड़ा हो जाता है और लिटिगेशन में सालों फैसला नहीं होता है। मेरे गांव का एक खेत है उसमें 8 या10 साल हो गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार तथा मंत्री महोदय

[श्रीमती चन्द्रावती]

से यह अर्ज करूंगी कि इस प्रकार के जो छोटे-छोटे केसिज़ हैं चाहे नम्बरदारी के हैं, पार्टीशन या म्यूटेशन वगैरह के हैं उन का निपटान अगर डायरैक्टर लैवल तक ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। उसको भी इस प्रकार की डायरैक्शंज़ देने की पावर होनी चाहिए। इससे लोगों की परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। आप चाहे डी०सीज़० को अपील सुनने की इजाजत दे दें या रिवीज़न की पावर दें लेकिन काम जल्दी होना चाहिए।

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय बहन चन्द्रावती जी ने म्यूटेशन वगैरह का जिक्र किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए पहले ही हिदायतें जारी की हुई हैं कि 3 महीने के अन्दर म्यूटेशन का काम पूरा कर दिया जाए। एस०डी०एम० या डी०आर०ओ० को अधिकार है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक केसिज़ को जल्दी निपटाने का ताल्लुक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है क्योंकि एफ०सी०आई० साहेबान के पास वर्क लोड के कारण देरी हो जाती है, इसलिए इस बिल को लाया गया है।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy speaker : question is —

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy speaker : question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy speaker : question is —

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Tittle

Mr. Deputy speaker : question is —

That Tittle be the Tittle of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy speaker : Now the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Chaudhri Anand Singh Dangi) : Sir, I beg to move that the Bill be passed.

Mr. Deputy speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Deputy speaker : question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज़ एंड कन्ट्रोल्ड एरियाज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगूलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 1996

Mr. Deputy speaker : Now the Chief Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendnent and Validation) Bill, 1996.

Sir, I also move —

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendnent and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy speaker : Motion moved —

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendnent and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम जी०टी० रोड पर जाते हैं तो वहां पर बाबा नौगजा पीर की मजार है। उसमें लोगों की बहुत श्रद्धा है। ट्रक वाले तो वहां किनारों पर ट्रक लगा कर खड़े हो जाते हैं जिस वजह से वहां पर एक्सीडैंट बहुत होते हैं। वहां पर एक साइड पर तो पानी है और उस मजार तक सीढ़ियाँ जाती हैं। तो क्या मुख्य मंत्री जी वहाँ तक सड़क बनवाने का प्रावधान करेंगे ताकि वहाँ पर एक्सीडैंट्स कम हों। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल तो यह रिवाज हो गया है कि सड़क के किनारे बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं कि हनुमान जी का मन्दिर बनाना है। मैं मानती हूँ कि वे हिन्दुओं के देवता हैं और हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि वे मन्दिर तो बनाएं लेकिन सड़क से हट कर बनाएं, सड़क के किनारों पर न बनाएं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह बहुत ही शानदार बिल लाए हैं। यह 1964 का बिल बना हुआ है और 1964 में नैशनल हाई-वे तथा बाई पास से 100 मीटर दूरी पर कुछ भी

[चौधरी भजन लाल]

बनाने की इजाज़त थी। लेकिन आज पापुलेशन बहुत बढ़ गयी है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गया इसलिए हमने 100 मीटर को घटा कर 30 मीटर कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वर्म से 30 मीटर होगा ?

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, 30 मीटर होगा जहां से पी०डब्ल्यू०डी० की रोड है। जहां पर पी०डब्ल्यू०डी० की मलिकयत है उस के किनारे से 30 मीटर तक कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। जो भी बनेगी उसके बाद बनेगी। (विघ्न)

डॉ० ओमप्रकाश शर्मा (जगाधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हल्का जगाधरी में जो सैक्टर 17 में हुड्डा की कॉलोनीज हैं वह म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर आती हैं तो उनकी क्या पोजीशन होगी ?

चौधरी भजनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह बात कही है, वह मेन रोड की है, नेशनल हाई वे की है, म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर जो छोटी-छोटी सड़कें आती हैं, उनका दायरा अलग से है। म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर जो सड़कें आती हैं वह तो हुड्डा की जमीन के अंदर आती हैं। उसको छोड़कर ही कोई अपना मकान या दुकान बनाएगा लेकिन इसका ताल्लुक उस बात से नहीं है।

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment and Validatriction) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion move -

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, **1992.** (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापिस यथाप्राप्त)

Mr. Deputy Speaker : Now, the Agriculture Minister will move the motion for re-consideration of the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1992 as received back from the Governor.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1992 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 25th March, 1992, be reconisdered in the light of the observation contained in the message of the Governor dated 20th February, 1996, with a view to retain the name of the Haryana Agricultural University as Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1992 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 25th March, 1992, be reconsidered in the light of the observation contained in the message of the Governor dated 20th February, 1996, with a view to retain the name of the Haryana Agricultural University as Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University.

Mr. Deputy Speaker : Question is -

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1992 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 25th March, 1992, be reconsidered in the light of the observation contained in the message of the Governor dated 20th February, 1996 with a view to retain the name of the Haryana Agricultural University as Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Hon'ble Members, I have received an amendment on clause 2 from the Agriculture Minister, which may be deemed to have been read and moved—

In Clause 2 of the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1992, for the words "The Haryana Agricultural University", the words " Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University" shall be subsitituted.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

In Clause 2 of the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1992, for the words " The Haryana Agricultural University" the words "Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University" shall be subsituted.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 2 as amended stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr Deputy Speaker : Question is -

That Clause 1 stand part of the bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Agriculture Minister will move that the Bill as amended be passed.

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh) : Sir, I beg to move -

That the Bill as amended be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the Bill as ameded be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

मुख्य मन्त्री / उपाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

मुख्य मंत्री (चौधरी भजनलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में विधान सभा के लिए मैम्बर पांच साल के लिए चुनकर आते हैं और पांच साल का समय पूरा होने जा रहा है। इस सरकार का पांच साल के समय का यह आखिरी सैशन है। मैं सबसे पहले इस सैशन को संयम, सुचारू रूप से तथा शानदार तरीके से चलाने के लिए स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, आपके सैक्रेटरी, एडीशनल सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरीज और रिपोर्टर्ज जिन्होंने यह सारी कार्यवाही नोट की, वॉच एण्ड वार्ड और जितने भी आपके सैक्रेटेरिएट के कर्मचारी हैं, उन सबका इस सदन की तरफ से बहुत-ही धन्यवादी हूँ। उन्होंने शानदार तरीके से पांच साल इस सैशन की कार्यवाही को चलाया। इसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। जहां तक हमारे साथी जो बैठे हुए हैं मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अपोजीशन के भाईयों को भी उनके साथ बैठना चाहिए था। आखिरी दिन था, दोबारा पता नहीं कौन चुन कर आये। यह प्रजातंत्र है इसमें जनता जिसको चाहती है उसको बिठाती है, जिसको नहीं चाहती उस को नहीं बिठाती। उनको चाहिए था कि वे यहाँ बैठते और अपनी बात कहते, सारी बातें सुनते, लेकिन समय-समय पर बिना मतलब के वाकआऊट करना, अच्छी बात नहीं है। खैर मैं उनको क्रिटीसाईज नहीं करूंगा क्योंकि वे यहां हाजिर नहीं हैं। उनको यहां बैठना चाहिए था। मैं सारे हाऊस की तरफ से यही कहता हूँ कि इस सरकार का पाँच साल का समय पूरा होने जा रहा है। आप जानते ही हैं कि अब इलैक्शन का समय है। एक दो महीने में इलैक्शन अपने टाईम पर होंगे ही। दोबारा चुनकर आयेंगे तो दोबारा फिर मिलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं

[चौधरी भजनलाल]

है। मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूं या अपने बारे में कहूँ तो मुझे शोभा नहीं देता लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता यह देखेगी कि जनता का हित कहाँ है और दोबारा राजपाट किस पार्टी के हवाले करना चाहिए। जब इंसाफ की बात आएगी तो जरूर जनता इसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएगी। मैं इसके साथ साथ प्रैस रिपोर्टर्ज का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरे पाँच साल में बड़े भारी संयम से काम लेकर के बहुत शानदार तरीके से काम किया। चाहे विधान सभा की कार्यवाही हो या सरकार के दूसरे विकास के काम हों, उसमें प्रैस का शानदार रोल रहा है। उसके लिए मैं प्रैस का भी धन्यवाद करता हूँ। जहां तक हमारे अधिकारियों का ताल्लुक है, प्रदेश को बनाने में, संवारने में और कंट्रोल करने में चीफ सैक्रेटरी से लेकर पीयन तक और डी०जी०पी० से लेकर सिपाही तक सबका बड़ा भारी योगदान रहा है। इस बात के लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ-साथ जैसा कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, चौधरी बंसी लाल जी, जोकि अब चले गए हैं, उन्होंने फाईनैंस के बारे में कहा। भारत सरकार के फाईनैंस कमीशन ने यहां तक कहा है कि सबसे बढ़िया जो फाइनैंस मैनेजमैंट सारे देश में है, वह हरियाणा प्रदेश का है। यह मैं नहीं कहता, यह देश का फाइनैंस कमीशन कहता है। इसके लिए मैं भागेराम गुप्ता जी को और फाइनैंस से जुड़े सभी अधिकारियों को प्रदेश का शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ। वे बधाई के पात्र हैं। इसके साथ मैं एक बार फिर सबको मुबारकबाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, आपका धन्यावाद करते हुए, अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, मैं चेयर की तरफ से अब जबकि हम आखिरी बार इस हाऊस में इस सैशन में मिल रहे हैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप भली-भांति जानते हैं कि हाऊस को चलाने की बड़ी मुश्किल जिम्मेवारी होती है। स्पीकर साहब ने और जहाँ तक हो सका मैंने भी जिस धारणा से यह जिम्मेवारी हमें सौंपी गई थी, उसी धारणा से इसे निभाने की कोशिश की है। मैं मुबारकबाद देता हूँ लीडर आफ दी हाऊस को, कि उन्होंने बड़ी दूर-अंदेशी से, बड़ी सूझ-बूझ से, ट्रेजरी बैंचिज की ओर से जो रोल होना चाहिए था वह अदा किया। क्योंकि अपोजीशन भी इस डैमोक्रेटिक सिस्टम का एक इंटेगर्ल पार्ट है, अपोजीशन के साथी जो इत्तफाक से यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन्होंने जो कोआप्रेशन हाऊस को चलाने में पिछले लगभग पांच साल से चेयर को दिया, मैं चेयर की तरफ से उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ and now with these words, the House is adjourned sine-die.

* 13.50 hours. (The Sabha then *adjourned *sine-die*.)

27626-HVS-H.G.P., Chd.